

‘जीएसटी अधिकारी छापे के दौरान जब्त करी गई नकदी की राशि जल्द से जल्द वापस लौटायें’

हाईकोर्ट ने नियम स्पष्ट करते हुए कहा कि जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूरत में यह अधिकार नहीं है कि वह छापे के दौरान परिसर में पाई गई नकदी जब्त कर सकते हैं

-यादवेन्द्र शर्मा-
जयपुर, 28 सितम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें यह मुख्य सवाल था कि “क्या जीएसटी अधिकारियों द्वारा छापे के दौरान परिसर में पायी गयी नकदी को जब्त किया जा सकता है?” न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की खण्डपीठ ने कई अन्य हाईकोर्ट के आदेशों को उद्धृत करते हुए नियम को स्पष्ट कर दिया है कि जीएसटी अधिकारियों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे छापे के दौरान परिसर में मिली नकदी व वित्तीय परिसंपत्तियों को जब्त कर सकें। अदालत ने कहा कि प्रदेश में कार्यरत जीएसटी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं के निवास व कार्यालयों से जितनी भी नकदी जब्त की थी, उसे जल्द से जल्द लौटाया। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने के लिए मुख्यतः अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पेश हुए थे।

- अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल “ गुड्स” (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से “मनी” (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस गैरकानूनी तरीके से नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को ना केवल ब्याज बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।
- इस मामले में छह याचिकाएं दायर करी गई थीं। मुद्दा एक ही था कि जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान गैरकानूनी तरीके से परिसर में पाई गयी नकदी को भी जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1 लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त करी, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसे ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था।

इस मामले में छह याचिकाएं एक ही मुद्दे को लेकर दायर की गई थीं कि, जीएसटी अधिकारियों ने उनके आवास व कार्यालय के छापे के दौरान परिसर में पाई गयी नकदी को भी गैर कानूनी तरीके से जब्त कर लिया था। एक याचिका में बताया गया कि जीएसटी अधिकारियों ने परिसर में पाई गयी 1

लाख 10 हजार रुपए की नकदी को जब्त किया, एक अन्य याचिका में आरोप है कि अधिकारियों ने 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की, एक अन्य याचिका में यह आंकड़ा 33 लाख रुपए का था, और ऐसी ही दो अन्य याचिकाओं में यह आंकड़ा 25-25 लाख रुपए का था। इन सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं ने

हाईकोर्ट से गुहार की थी कि गैरकानूनी तरीके से जब्त की गई राशि को जीएसटी विभाग न केवल लौटाये, बल्कि जब्त की गई राशि पर ब्याज भी दे और क्षतिपूर्ति भी दे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने अदालत को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने सपा के समक्ष 150 सीटों का दावा पेश किया

कांग्रेस इस दावे के बावजूद, किसी भी तरह, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव तो लड़ना ही चाहती है

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगले सप्ताह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 150 विधानसभा सीटें चिन्हित की हैं, जिनकी बात वह बातचीत के दौरान करेगी। दोनों पार्टियां कई बार कह चुकी हैं कि वे चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहती हैं, लेकिन राज्य की 403 विधानसभा सीटों का बंटवारा दोनों के बीच मतभेद का मुख्य मुद्दा बन गया है।

सूत्रों के अनुसार, बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन अंतिम समझौते के लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस नेता

- जैसी चर्चा है, यूपी विधानसभा चुनाव संभवतया, फरवरी-मार्च 2027 में होने की संभावना है।
- कांग्रेस का फोकस दलित व ब्राह्मण वोटर पर रहेगा। हालांकि, मुस्लिम नेताओं को भी अहमियत दे रही है। इमरान प्रतापगढ़ी को व सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद, कांग्रेस के इस प्रयास की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं।

राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, की मंजूरी जरूरी होगी।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होने की उम्मीद है, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी इसकी औपचारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है।

दोनों पार्टियां इस संभावना को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही है कि

उन्हें बड़ी संख्या में सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। इसी तरह की समानांतर तैयारियों के कारण, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से कुछ बयानबाजी भी हुई है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने सीटों के बंटवारे की तैयारी के तहत, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को “ए”, “बी” और “सी”- तीन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘कोमा में चल रहे कांस्टेबल को वेतन क्यों नहीं दिया’

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोमा में चल रहे पुलिस कांस्टेबल को बीते एक साल से वेतन नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी व भरतपुर एसपी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं याचिका की कांपी

- हाई कोर्ट ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी तथा भरतपुर एसपी से जवाब मांगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता को दिलाते हुए इन अफसरों से पांच अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश पुलिस कांस्टेबल जोगेन्द्र सिंह की पत्नी उषा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति जोगेन्द्र सिंह भरतपुर में पुलिस कांस्टेबल हैं। वह 18 अगस्त 2024 को कार्य करते समय अचानक अस्वस्थ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उज्जैन में मस्जिद हटाने के विरोध में पथराव, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। सोमवार को उज्जैन में उस जगह पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोगों के बीच टकराव की स्थिति बन गई, जहां सड़क चौड़ी करने की परियोजना के तहत, शाही मस्जिद के एक हिस्से को गिराया जाना

- शहर काजी ने कहा कि मस्जिद का मुद्दा सुलझ गया है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।

प्रस्तावित है। घटनास्थल के वीडियो से यह जानकारी मिली। वीडियो में दिखा कि भीड़ ने सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सड़क चौड़ी करने की यह योजना उज्जैन में किए जा रहे बड़े बुनियादी ढांचे के बदलाव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करना है। कुल 272 ढांचों को गिराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्रैनी घर का एक हिस्सा भी शामिल है, जिसे गिराने के काम में मुख्यमंत्री खुद भी शामिल हुए थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रभारी व सहप्रभारियों की बैठक बुलाई

पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश स्तर के संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नज़दीकी समन्वय स्थापित करना है

- श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ही भाजपा को चुनावी रूप से तैयार करने की कोशिश के तहत, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को नव नियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों की बैठक बुलाई है। भाजपा ने 24 सितंबर को 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे। इनमें उत्तर प्रदेश के लिए विनोद तावड़े (चार सह-प्रभारियों के साथ), पंजाब के लिए सतीश पुनिया और उत्तराखंड के लिए राम माधव (तमिलनाडु के साथ) जैसी महत्वपूर्ण नियुक्तियां शामिल हैं। 29 सितंबर को पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह बैठक इस नई टीम के लिए पहला बड़ा समन्वय कार्यक्रम है और इसका सीधा संबंध इन

- इस बैठक से भाजपा यह संकेत दे रही है कि वह 2027 के चुनावों को, नए राष्ट्रीय नेतृत्व की संगठनात्मक एकता का एक परीक्षण व परीक्षा मान रही है।

संगठनात्मक बदलावों से है। इसका उद्देश्य नबीन के अपेक्षाकृत नए एवं युवा नेतृत्व में, राज्य स्तर के नेताओं को पार्टी की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ना है। बैठक का का एजेंडा मुख्य रूप से उन राज्यों पर रहने की उम्मीद है, जहाँ चुनाव होने हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इसमें बुध स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, एनडीए के भीतर सहयोगी दलों के साथ तालमेल, उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया और केन्द्र सरकार की योजनाओं को स्थानीय चुनावी संदेश में बदलने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पार्टी जमीनी स्तर पर संपर्क अभियान को और तेज करके और योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज

को चुनावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाकर, अपना प्रभाव बनाए रखने पर जोर देगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड और पंजाब में मौजूदा जनाधार को मजबूत करने के साथ-साथ, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने और पारंपरिक मजबूत क्षेत्रों से बाहर विस्तार करने पर जोर रहेगा। 2027 के चुनावी चक्र में जाने वाले अन्य राज्यों के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करना भी चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा होगा। पार्टी से ऐसी रणनीति तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी उपलब्धियों को प्रमुखता दी जाएगी, जबकि महंगाई, बेरोजगारी और साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक नहीं है

आस्ट्रेलिया की सरकार के स्वास्थ्य संबंधित डेटा की एआई द्वारा हुई चोरी के बाद यह तय करना जरूरी हो गया है कि एआई द्वारा लिए गए निर्णयों में अन्ततोगत्वा जवाबदेही किसकी है?

- दूसरे शब्दों में इन एआई मशीनों की पुलिसिंग कौन करेगा?

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। एक एआई एजेंट द्वारा ऑस्ट्रेलिया सरकार के हेल्थ पोर्टल तक बिना अनुमति पहुँचने की घटना ने बिना निगरानी वाली आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के खतरों को उजागर किया है। यह घटना बताती है कि ऐसे सुरक्षा उपायों की तुरंत जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि एआई में होने वाला विकास समाज के प्रति जवाबदेह रहे। दुनिया ऐसी मशीनें बना रही है, जो कोड लिख सकती हैं, बीमारियों का पता लगा सकती हैं, फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं और पूरे उद्योगों का स्वरूप बदल सकती हैं। लेकिन जैसे-जैसे

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अधिक शक्तिशाली होती जा रही है, एक देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है। यह घटना की गंभीरता केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन-सी जानकारी देखी गई। बताया गया है कि एक इंटरनेट रिसर्च कार्य के दौरान काम

फाइलों तक पहुँच बनाई जो सार्वजनिक नहीं थी। हालाँकि अधिकारियों ने जोर देकर यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के निजी मैडिकेयर डेटा तक पहुँच नहीं बनाई गई और इसका प्रभाव सीमित रहा। इस घटना का खुलासा 24 सितंबर, 2026 को किया गया और इसके बाद सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू की है। यह घटना की गंभीरता केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि कौन-सी जानकारी देखी गई। बताया गया है कि एक इंटरनेट रिसर्च कार्य के दौरान काम

कर रहे एआई एजेंट ने अपनी शुरुआती पहुँच की अनुमति दुकुराए जाने के बाद, कुछ प्रतिबंधों को पार कर लिया। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है: तब क्या होगा, जब कोई तेजी से स्वायत्त (ऑटोनॉमस) होता सिस्टम अपने लिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऐसे तरीके अपनाए, जिनका उसके डवलर परे से इरादा नहीं किया हो? अब चिंता केवल इस काल्पनिक स्थिति तक सीमित नहीं है कि मशीनें नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। इसमें साइबर हमले, गलत जानकारी फैलाना, गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गोरिदम आधारित भेदभाव और श्रमिकों के विस्थापन की संभावना भी शामिल हैं। तेजी से अधिक स्वायत्त होते सिस्टम के इस्तेमाल ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मौजूदा सुरक्षा तंत्र तकनीकी प्रगति के साथ कदम मिला सकते हैं। यह उलझन और गहरी होती जा रही है, क्योंकि सरकारें आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए एआई का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उपराष्ट्रपति सोपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने सोमवार को शहीद भगत सिंह को जयंती पर उन्हें

- प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह के साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया।

श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, "शहीद भगत सिंह को ने अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ भारत की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी अदम्य भावना और देशभक्ति पीढ़ी यों को प्रेरित करती रहती है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भगत सिंह ने अपने अदम्य साहस और वीरता से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इन इकॉनमिस्टों का मानना है, यह प्रोग्राम पूर्णतया सफल तब माना जाएगा, जब वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़ा रहेगा, सरकारी सहयोग व सुविधाएं हट जाएंगी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 सितम्बर। “मेक इन इंडिया” शुरू होने के बारह साल बाद देश में पहले से ज्यादा कारखाने हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की मौजूदगी मजबूत हुई है। लेकिन केवल प्रोडक्शन बढ़ने से यह साबित नहीं होता कि भारत ने वह बुनियादी आर्थिक बदलाव हासिल कर लिया है, जिसका वादा इस पहल के तहत किया गया था। असली परीक्षा यह है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग से देश में बड़े पैमाने पर घरेलू वैल्यू एडिशन हो सकता है, लाखों लोगों को अच्छी और उत्पादक नौकरियां मिल सकती हैं और आयात की जाने वाली तकनीक तथा पुर्जों पर निर्भरता कम हो सकती है। 25 सितंबर, 2014 को की गई “मेक इन इंडिया” पहल का उद्देश्य भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र बनाना था। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, ऑटोमोबाइल, स्टील और रक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन

- इकॉनमिस्टों के अनुसार, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के कारण, भारत में पूँजी निवेश बढ़ा है, उत्पादन क्षमता बढ़ी है।
- पर, औद्योगिक क्षमता में बढ़ोतरी इस बात का सबूत नहीं मानी जा सकती कि हमारे उद्योगों के कामकाज से प्रोडक्ट में कितनी “वैल्यू” बढ़ी है तथा बड़े हुए उत्पादन से बढ़ी हुई आमदनी का कितना बड़ा हिस्सा आम उपभोक्ता तक पहुँचा और साथ ही कितने रोजगार बढ़े।

मुख्य सवाल यह है कि क्या इस प्रगति से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल बदलाव

आया है या यह लाभ कुछ चुनिंदा क्षेत्रों और बड़ी कंपनियों तक ही सीमित है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र प्रगति का उदाहरण भी है और सावधान रहने का कारण भी। भारत मोबाइल फोन के निर्माण और निर्यात का एक बड़ा केन्द्र बन गया है और इसने दुनिया की बड़ी कंपनियों से काफी निवेश आकर्षित किया है। लेकिन केवल मोबाइल फोन के असेंबली ऑपरेशन्स बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि टैक्नॉलजी, इन्टैलैक्चुअल प्रॉपर्टी या अहम कॉम्पोनेन्ट्स पर भारत का कंट्रोल है, जिनसे उत्पाद की कमाई का बड़ा हिस्सा तय होता है। मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था

तभी वास्तव में मजबूत मानी जाएगी, जब घरेलू कंपनियां अंतिम उत्पाद में इस्तेमाल होने वाली अधिक चीजों को खुद डिजाइन, विकसित और तैयार कर सकें। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव (पी.एल.आई.) योजना ने कई उद्योगों में निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। लेकिन केवल सरकारी प्रोत्साहन और उत्पादन के आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि सरकारी सहायता खत्म होने के बाद भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेपरलीक में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज हुआ

जयपुर, 28 सितंबर। सीबीआई मामले की विशेष अदालत क्रम-3 ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के पेपर लीक और नकल से जुड़े मामले में प्रदीप खींचड, विनोद कुमार और अशोक कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र

- द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के तीन आरोपियों ने अग्रिम जमानत मांगी थी।

लीक होने से समाज और विद्यार्थियों पर विपरीत और गंभीर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

विचार बिन्दु

घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। –महात्मा गाँधी

बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते, आते....

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों आयुक्तों की बैठक दिनोंक 26 सितंबर 2026 को हुई। इसके बाद आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञिप्त के माध्यम से, विशेषकर ज्ञानेश कुमार पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की विज्ञिप्त जारी की गई हैं, वह चुनाव आयोग द्वारा अपने दोषों का कबूलनामा ही है।

इस विज्ञिप्त के दो भाग हैं, एक, आयोग द्वारा पूर्व के निर्णयों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने मतदाताओं को राहत दी गई है तथा है और दूसरे भाग में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से संबंधित अपनी सफाई देने का प्रयास किया गया है। ध्यान से देखा जाए, तो यह सफाई नहीं कही जाएगी। इस बारे में वास्तव में यदि स्थिति को स्पष्ट करना ही था तो दोनों चुनाव आयुक्त, संघ और जेशों को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोग में ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा, मनमाने निर्णय लेने की प्रक्रिया की ही पुष्टि होती है।

यदि इस विज्ञिप्त के आधार पर ज्ञानेश कुमार यह उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध जनता का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी ही होगी। इस विज्ञिप्त के माध्यम से ज्ञानेश कुमार ने एक प्रकार से अपना दोष ही स्वीकार किया है। यह वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे और बाद में उसे स्वीकार कर ले तो वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता।

अब तो स्पष्ट हो चुका है कि गलत निर्णयों और निर्देशों से किस प्रकार देश के करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी। लाखों-करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कट गए।

इस लेख में हम नागरिकों को हुई परेशानी का विश्लेषण, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञिप्त के संदर्भ में करने का प्रयास करेंगे।

विज्ञिप्त में लिखा गया है कि अब से चुनाव आयोग की प्रत्येक मीटिंग का एजेंडा जारी किया जाएगा और उसके निमित्दस भी जारी होंगे। यह बात हास्यस्पद लगती है, क्योंकि एजेंडा बनाना और निमित्दस जारी करना तो किसी भी समिति के लिए सामान्य बात है। अब तक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के द्वारा एजेंडा नहीं बनाया जाना और निमित्दस जारी नहीं करना, क्या पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं है?

आयोग द्वारा कोई भी निर्णय, सामूहिक रूप से तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय, दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे। इनमें से कुछ पर तो इन्होंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद, आपत्तियों पर ध्यान देने के बजाए ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही आदेश जारी कर दिए। क्या इन आदेशों को आयोग का आदेश माना जा सकता है? क्या इस प्रकार लिए गए निर्णय और उसके आधार पर की गई सारी प्रक्रिया स्वतः अवैधानिक नहीं हो जाती है?

आयोग ने 26 सितंबर की बैठक में यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा बनाए गए पोर्टल eci.net का इस दृष्टि से मूल्यांकन करया जाएगा कि क्या इसतकें लागू होने से चुनाव संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना सही तरह हुई है अथवा नहीं? यह काम आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें IIT या IIT का एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा। भविष्य में किसी भी नए सॉफ्टवेयर को तब ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ,जब उक्त समिति भली भाँति प्रथम दृष्टया उसका आँकलन कर ले। यह उल्लेखनीय है कि eci.net को लागू करने से पूर्व दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई थी, बल्कि उन्होंने तो इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस नए सॉफ्टवेयर का ही परिणाम हुआ कि इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ई आर ओ) जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े या हटाए, उन्हें इस सॉफ्टवेयर के अंगत एसा करने का विकल्प ही नहीं दिया गया था। गोवा में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में जब ई आर ओ ने 97 नाम जोड़ने की कोशिश की तो वह नहीं जोड़ पाए। निर्वाचन आयोग को सात दिन में आठ बार लिखने पर भी कोई हल नहीं निकला। ये 97 व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। इसका जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की आईटी सेल की मुखिया सीमा खन्ना को क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

आयोग की उक्त बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त घोषणापत्र को आवश्यकता, एस आई आर के बाद नहीं रहेगी। नव वोटरर्स के लिए तो यह ठीक है, लेकिन पुराने मतदाता जिनका नाम कट गया है, उन्हें भी फॉर्म 6 फॉर्म भरना पड़ेगा और वह झूठा शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी वोट नहीं दिया है। फॉर्म 6 में जो बदलाव किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है और अब 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने के बारे में जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यही वह प्रमुख बदलाव था, जिसके कारण करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी हुई।

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है?

जाती तो लाखों लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहते। क्या लाखों लोगों को परेशान करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए किसी की जिम्मेदारी तब नहीं की जानी चाहिए? न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भागीदार माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया और एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के गलत काम में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनते रहे। इसका सही उत्तर तो तभी मिल सकता है जब दोनों चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

सत्ता समर्थक कई लोग अब भी एस आई आर के कारण नाम काटने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वे इसकी पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2026 के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं जिसमें एस आई आर की प्रक्रिया को सही मानते हुए उसे जारी रखने की अनुमति दी थी। उनका यह भी कहना है कि यदि एस आई आर को जानबूझकर सत्ताधारी दल के हित में किया गया था, तो फिर इसके आधार पर हुए केरल के चुनाव में कांग्रेस को विजय कैसे प्राप्त हो गई? यह एक कुतर्क है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि विजय किस दल को प्राप्त हुई, या बल्कि यह है कि क्या मतदाता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं? इसका उत्तर स्पष्टथा ‘नहीं’ है।ऐसे परिपत्र जारी कर दिए जिनके कारण मतदाताओं के साथ ही बीएलओ को भी बहुत मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा और कई भी एल ओ ने तो आत्महत्या तक कर ली। क्या चुनाव आयोग इन का जीवन वापस लौटा पाएगा? जो लाखों करोड़ों लोग मतदान से वंचित रह गए और जहां चुनाव हो गए, उन लोगों का अधिकार अब कैसे लौटा पाएगा?

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है? यदि चुनाव अवैधानिक हुए तो क्या ऐसा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए ?

चुनाव आयोग की तरफदार करते हुए कई लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया था तो अब इसे मंजूर कर लिया जाएगा, इसकी संभावना नागण्य है। वैसे भी, महाभियोग का निर्णय संख्या बल के आधार पर होता है और लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी दल का पूर्ण बहुमत है, अतः वहां पर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावना नहीं के बराबर है।

अब, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी गलतियों से अपने दोष की स्वीकारोक्ति कर ली है, माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेते हुए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को काम करने से रोकना चाहिए। साथ ही, एस आई आर के आधार पर बनाई हुई सभी मतदाता सूचियों पर स्थान देते हुए जून 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर, राज्यों में चुनाव कराने का आदेश जारी करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौका है कि वह लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त होने से बचाने के लिए संविधान में द्रष्ट शक्तियों का उपयोग करे।

राजनीतिक दलों और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान छेड़ ही रखा है। आशा है, जनता का दबाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा ताकि नए योग्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर सके। दुध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। अतः संभवतया नया मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी सावधानीपूर्वक निष्पक्षता से काम करेगा।

चुनाव आयोग में जिस प्रकार अब विभिन्न प्रकार के मतदाताओं को राहत देने वाले सुधाराम्थक संशोधन किए हैं, यदि इसी अनुसार वह प्रारंभ से कार्रवाई करता, तो संभव है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में कम नहीं होता। अब जो कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, वह बहुत थोड़ी और अत्यंत विलंब से है, जिसका कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यदि यह सोचते हैं कि उनकी छवि इन कदमों से ठीक हो जाएगी और जनता का आक्रोश उनके प्रति कम हो जाएगा तो वे गलत ही सिद्ध होंगे।

फिलहाल तो, हम यही कहने पर विवश हैं कि “बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते आते”।

–अतिथि सम्पादक,

राजेंद्र भागावत

(पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी)

परीक्षा में शुचिता बनाम कानूनी जटिलता: एससी/एसटी अधिनियम के दुरुपयोग और समीक्षा की आवश्यकता



प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंटालिया

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है और परीक्षाएं उस नींव की मजबूती को मापने का पैमाना हैं। परीक्षा हॉल में एक शिक्षक या निरीक्षक (इन्विजिलेटर) का प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण हो। जब कोई शिक्षक अपनी जैसे आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो उसे व्यवस्था और कानून का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए।

परंतु, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे (में छात्रसाहिल वाकोडेकी आत्महत्या और उसके बाद परीक्षा निरीक्षकप्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर ने देश में एक अत्यंत संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है।यह घटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक या शैक्षणिक कार्रवाई को जातिगत रंग देकर कड़े सामाजिक कानूनों के दायरे में खींच लिया जाता है।ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है: क्या परीक्षा में अनुचित साधनों और नकल को रोकना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा? यह स्थिति अनिवार्य रूप से इस बात की मांग करती है कि समाज, न्यायपालिका और विधायिका इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग और इसकी समीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करें।

1. **कर्तव्य का पालन बनाम कानूनी उत्पीड़न की विडंबना-**आईआईटी बॉम्बे की घटना के तथ्य स्पष्ट करते हैं कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला केवल मिड-सेमेस्टर परीक्षा में निरीक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्होंनेछात्र को परीक्षा के स्थापित नियमों के विरुद्ध स्मार्टफोन से नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और

नियमानुसार इसकी रिपोर्ट संस्थान को दी सीसीटीवी फुटेज और प्राथमिक पुलिस जांच के अनुसार छात्र बिना किसी तीखी बहस के शांत तरीके से अपना सामान समेटकर बाहर निकला और अपनी आखिरी फोन कॉल में भी उसने केवल अपनी गलती व शैक्षणिक तनाव का जिक्र किया, किसी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न का नहीं।

इसके बावजूद प्रोफेसर डूला के विरुद्ध गंभीर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रशासनिक दायित्व से हटाकर अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने की कार्रवाई हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर डूला को कई शैक्षणिक उत्कृष्टता और शिक्षण उत्कृष्टता के परस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्टर पर कार्य किया है एवं विशिष्ट अनुसन्धान परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

इसके बाद साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर डॉ. शिरोषे केदार और प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन शुरू कर किया। यह स्थिति निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर और विडंबनापूर्ण है। एक ओर एक छात्र की दुखद मृत्यु ने उसके परिवार को गहरे आघात में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर उन संस्थान अधिकारियों और शिक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में कितने शिक्षक नकल या अनुशासनहीनता के मामलों में कठोर कार्रवाई करने का साहस करेंगे? शिक्षक यदि परीक्षा कक्ष में यह सोचने लगे कि नियमों का पालन करवाना कहीं उसके लिए कानूनी संकट न बन जाए, तो परीक्षा की शुचिता और पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

2. **एस.सी./एस.टी. अधिनियम के दुरुपयोग के ऐतिहासिक व न्यायिक उदाहरण-**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के पवित्र उद्देश्य से बनाया गया था। परंतु, समय के साथ इस कानून के कड़े प्रावधानों-जैसे कि बिना

प्रारंभिक जांच के तुरंत एफआईआर और अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध-का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाने, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता समाप्त करने और प्रशासनिक दबाव बनाने के एक हथियार के रूप में किया जाने लगा है।

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर इस कानून के बेलगाम दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कई ऐतिहासिक फैसलों में इसके उदाहरण सामने आए हैं:-

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018):इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि एस.सी./एस.टी. एक्ट का इस्तेमाल निर्दोष नागरिकों को ब्लैकमेल करने और लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने पाया था कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी के कारण निर्दोष लोगों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है।

हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया कि किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बीच का हर विवाद स्वतः ही इस एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता। जब तक कि विवाद का मुख्य कारण या मंशा पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने की न हो, तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता।

देश को विभिन्न अदालतों (जैसे इलाहाबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) ने जमीन के आपसी विवादों, पैतृक संपत्तियों के झगड़ों और यहां तक कि दफ्तरों में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रद्द करते हुए दिष्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

3. **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े और जमीनी हकीकत-**अधिनियम के दुरुपयोग की बात केवल मौखिक नहीं है, बल्कि देश की आधिकारिक सांख्यिकी भी इसकी गवाही देती है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस जांच के बाद झूठा या गलतफहमी के रूप में बंद कर दिया जाता है।

4. **कानून की समीक्षा और संशोधन क्यों अनिवार्य है?** (तार्किक आधार)-किसी भी गतिशील और न्यायप्रिय समाज में कोई भी कानून पत्थर की लकड़ी नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का मूल्यांकन और उनमें सुधार किया जाना आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से तात्कालिक समीक्षा की मांग करती है:

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन: इस कानून में आरोपी को अग्रिम जमानत न मिलना और शिकायत दर्ज होते ही बिना किसी प्राथमिक जांच के सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है जो कि निर्दोषता के अनुमान (प्रेज्यूमडह ईव्हदमहम) के सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांत को कमजोर करता है, जहां सारा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वह खुद को बेगुनाह साबित करे।

प्रशासनिक पंगुता (Administrative Paralysis): सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, पुलिस और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में अधिकारियों और शिक्षकों के मन में यह निरंतर भय बना रहता है कि यदि वे किसी नियम तोड़ने वाले कर्मचारी या छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, तो उन पर तुरंत काउंटर-ब्लास्ट के रूप में इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। यह भय देश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर रहा है।

मुआवजा नीति का दुरुपयोग: वर्तमान नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक निश्चित वित्तीय मुआवजा (आंशिक या पूर्ण) जारी कर दिया जाता है। कई आलोचकों और समाजशास्त्रियों का मानना ​​है कि इस त्वरित वित्तीय लाभ के प्रावधान के कारण भी कई बार निहित स्वार्थों द्वारा झूठी प्राथमिकियां दर्ज कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वास्तविक पीड़ितों के साथ

अन्याय:जब इस विशेष कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, तो समाज और व्यवस्था में इस कानून के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक और गंभीर पीड़ितों को उठाना पड़ता है जो ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में आज भी भयंकर जातिगत अत्याचारों का सामना करते हैं। झूठे मामलों की बाढ़ के कारण असली पीड़ितों की आवाज दब जाती है।

5. संतुलित का मार्ग: सुधार के

रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली ‘पाटली नदी’ जीर्णोद्धार के बाद फिर जी उठी

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया



रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित पाटली नदी पुन: बहने लगी है।

जिसका कार्य पूर्ण हो गया है और नदी अपने पुरातन स्वरूप में बहने लगी है।

ऐसे बदली सूरत -मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया गया। ऐतिहासिक जगह को देखते हुए जुल्मी हिरामन मंदिर के पास घाट का निर्माण कराया गया तथा मंदिर

के पास पानी भराव के लिए पास में बने एनीकट का जीर्णोद्धार करवाया गया है तथा जुल्मी पुलिसिया के पास जहां जुल्मी गांव वालों के द्वारा मूर्ति विर्सजन किया जाता है, उस जगह घाट का निर्माण कार्य करवाया गया है, अमृतखेड़ी गांव के समीप रमशान घाट के पास भी एक घाट का निर्माण कराया गया है तथा इसी तरह पायली गांव में

मंदिर के पास भी घाट का निर्माण कराया गया है।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चूंकि पाटली नदी से काफी मात्रा में पानी अनियंत्रित तरीके से बहकर चला जाता था, इस पानी को नियंत्रितवर्ती क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग लेने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में सुरेड़ा गांव के पास एक एनीकट

- पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी**
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया**

की मरम्मत का कार्य भी करवाया गया है, जिसमें पानी संग्रहीत किया जा चुका है। इसी वर्ष जल ग्रहण विभाग द्वारा भी सेमलहड़ी के पास एक नए एनीकट का निर्माण किया गया है। इस नदी की पानी की आवक को देखते हुए नदी पर बांध बना कर इसके पानी से आसपास के क्षेत्र की भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024-25 में डी.पी.आर का कार्य भी किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के उपरांत इस नदी के पानी से आसपास के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।



पंडित अनिल शर्मा

मेघ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वाथ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:04 तक है। राजयोग दिन 9:04 से सायं 5:11 तक है। भद्रा प्रातः 6:12 से सायं 5:11 तक रहेगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज चतुर्थी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ अमृत 10:48 से 1:46 तक, शुभ 3:15 से 4:44 तक।

राहुकाल- 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:12

राशिफल

मंगलवार 29 सितम्बर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत-2083, अश्विनी नक्षत्र प्रातः 9:04 तक, हर्षण योग रात्रि 3:20 तक, विष्टि करण सायं 5:11 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति-सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेघ, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज सर्वाथ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:04 तक है। राजयोग दिन 9:04 से सायं 5:11 तक है। भद्रा प्रातः 6:12 से सायं 5:11 तक रहेगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज चतुर्थी व्रत है।

मेघ
मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी।

व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कामों योजनानुसार बनने लगेंगे।

तुला
अपने अति कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक संबंध बेगुनी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। दिन के मध्याह्न पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल रूप में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

वृश्चिक
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। विवाहित जीवन का निपटारा हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संपादित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्य के कारण परेशानी हो सकती है। घर-परिवार का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

कन्या
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मीन
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। उचित कार्य योजना बनेगी। अटका हुआ आप्र प्राप्त होगा। मन में वृद्धि होगी।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

सेवा संकल्प अभियान — जन सेवा ही प्रभु सेवा

(17 सितम्बर - 17 अक्टूबर 2026)

सशक्त गांव, समृद्ध परिवार
विकास की ओर बढ़ता राजस्थान

अटल ज्ञान केंद्र

14,403 पंचायत मुख्यालय पर बनेंगे अटल ज्ञान केंद्र

ग्रामीण युवाओं के लिए बनेंगे रोजगार के बेहतर अवसर

अब तक 628 अटल सेवा केंद्र तैयार

जन सुविधाएं

हर केंद्र पर 4 कंप्यूटर व हाई-स्पीड इंटरनेट

ई-मित्र सेवाएं एक ही स्थान पर

आधुनिक ई-लाइब्रेरी की सुविधा

युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

820 रसोइयों का संचालन

प्रति थाली लाभार्थी ₹8, राज्य सरकार का ₹22 अनुदान

6.87 करोड़ से अधिक भोजन थालियां परोसी गईं

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) पर ₹180.89 लाख व्यय

प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन 200 थालियों की व्यवस्था

स्वामित्व योजना

आम नागरिकों को ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि / मकान के स्वामित्व का वैध दस्तावेज देने की योजना

ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्राप्त

राज्य में ड्रोन सर्वेक्षण कार्य लगभग पूर्ण

राज्य में 15.70 लाख से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से मैप-2 प्राप्त गांवों में स्वामित्व कार्ड वितरण शीघ्र



जोधपुर की फैक्टरी में लगी आग में झुलसे दो और फायर फाइटर की मौत

आगजनी की घटना में अब तक तीन फायर फाइटर की मौत हो चुकी है

जोधपुर, (कासं))। जोधपुर के बासनी स्थित फैक्टरी में आग लगने के बाद हुए ब्लास्ट के मामले में सोमवार को दो फायर फाइटर सुरेंद्र और प्रदीप की मौत हो गई। सुरेंद्र इस हादसे में 60 प्रतिशत तक झुलस गए थे। घटना में अब तक तीन फायर फाइटर की मौत हो चुकी है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेण्डेंट डॉ. फतेह सिंह भाटी ने बताया कि 60 प्रतिशत तक झुलस गए दो फायर फाइटर पर लिया था। सोमवार सुबह इलाज के दौरान सुरेंद्र की मौत हो गई। वहीं, प्रदीप वेंटिलेटर पर था, जो इस हादसे में 80 से 90 प्रतिशत तक झुलस गए

थे। इलाज के दौरान सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे उसने भी दम तोड़ दिया। इससे पहले 26 सितंबर को एक फायर फाइटर प्रीतेश की मौत हो गई थी। डॉ. भाटी ने बताया कि जयपुर में एडमिट 6 मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रहा है। वहीं, चार मरीज प्रवीण, कुणाल, दुर्गेश और विनय का इलाज महात्मा गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है।

इधर, इस हादसे में झुलसे फायर फाइटर के परिवार को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस हादसे में जान गंवाने वाले परिवार को राज्य सरकार की ओर से 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। कलेक्टर

■ **जयपुर के अस्पताल में एडमिट छह मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है**

■ **बासनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में 23 सितंबर की आग लग गई थी**

आलोक रंजन ने बताया कि इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी भी मिलेगी। उन्होंने बताया राज्य सरकार परिवार के साथ खड़ी

है। इस हादसे में जो फायर फाइटर घायल हुए हैं, उन्हें पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इस हादसे में घायल लगातार रिकवर हो रहे हैं, लेकिन, वे यदि काम पर नहीं जा पाते हैं तो परिवार के किसी एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी।

गौरतलब है कि बासनी की गणेश नगर श्रमिक कॉलोनी स्थित हैंडीक्राफ्ट फैक्टरी में 23 सितंबर की शाम करीब 5:30 बजे आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए 35 फायर फाइटर की टीम पहुंची थी। कर्मचारी आग बुझाने में जुटे थे। इस दौरान छत से एक पत्थर कैमिकल से भरे ड्रम पर

आकर गिर गया था। इससे ब्लास्ट हो गया। इसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी झुलस गए। दूसरे फायर फाइटर अपने साथियों को पिकअप और दमकल में लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। आग इतनी भयानक थी कि रात 11 बजे के बाद एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाना पड़ा। 24 सितंबर की सुबह 5 बजे आग पर काबू पाया गया था, लेकिन सुबह 7 बजे आग फिर से धधक उठी, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। इस हादसे में झुलसे 14 कर्मचारियों में से 6 फायर फाइटर को ग्रीन कार्डिओर बनाकर एंबुलेंस से महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जयपुर अस्पताल भेजा गया था।

बंध बरेठा अभयारण्य में पुलिस चौकी के पास सड़क पर दिखा लैपर्ड

रूदावल-भरतपुर (निसं)। भरतपुर जिले के बंध बरेठा वन्यजीव अभयारण्य इलाके में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक लैपर्ड (तेंदुआ) मुख्य सड़क पर बेफिक्र घूमता हुआ नजर आया। खास बात यह रही कि लैपर्ड पुलिस चौकी के ठीक सामने सड़क पर चहलकदमी कर रहा था। उसी दौरान वहां से गुजर रहे कारों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद लैपर्ड वापस जंगल में ओर लौट गया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, रविवार रात

एक कार बंध बरेठा इलाके से गुजर रही थी। तभी अचानक पुलिस चौकी के पास सड़क पर लैपर्ड दिखाई दिया। कार सवारों ने वाहन धीमी कर लैपर्ड का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गाड़ियों की हैडलाइट की रोशनी और हलचल महसूस होते ही लैपर्ड सड़क पार कर वापस सुरक्षित जंगल के घने इलाके में चला गया।

रंजर राहुल फौजदार ने बताया कि हालिया वन्यजीव गणना के दौरान बंध बरैठा इलाके में कुल 6 लैपर्ड चिन्हित किए गए थे। यहां लैपर्ड्स का एक पूरा परिवार निवास करता है। जंगल से सटे होने के कारण ये अक्सर भोजन और

पानी की तलाश में या सामान्य चहलकदमी के दौरान सड़क किनारे तक आ जाते हैं और स्थानीय लोगों या राहगीरों को दिखाई दे जाते हैं। बंध बरैठा का यह इलाका वन्यजीवों के लिए अनुकूल माना जाता है। इससे पहले मध्य प्रदेश के कूनों नेशनल पार्क से भटककर आया एक चीता भी इसी बंध बरैठा इलाके में कई दिनों तक डेरा डाले हुए था। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर वापस कूनों भेजा था। प्रशासन और वन विभाग ने आसपास के ग्रामीणों एवं राहगीरों को रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी है।

स्मैक सहित आरोपी गिरफ्तार

पाटटा, (निसं)। विराटनगर थाना पुलिस ने स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4 ग्राम 29 मिलीग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के अनुसार गठित टीम ने थाना क्षेत्र के सराय मोहल्ला वार्ड नंबर एक विराटनगर में कार्रवाई करते हुए प्रदीप कुमार उर्फ सीताराम पुत्र रामजीलाल को गिरफ्तार किया।

बीकानेर जिले में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में नुकसान

बीकानेर, (निसं)। दो दिन पहले तक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान में तप रहे बीकानेर में देर रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। महाजन के आसपास कुछ गांवों में ओले गिरे, जबकि श्रीदुर्गराढ़ क्षेत्र में तेज बारिश से गलियों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने बीकानेर के लिए ये लो अलर्ट जारी किया है। वहीं महाजन क्षेत्र में तेज आंधी के दौरान बाढ़क असंतुलित होकर बस से टकराने से एक युवक की मौत हो गई।

महाजन में एक युवक महाजन-सरदारशहर रोड से अपने खेत की ओर फसल को बारिश से बचाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में तूफान इतना तेज था कि उसकी बाइक असंतुलित होकर बस से जा टकराई। हादसे में

युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शेरपुरा निवासी भगवानदास के बेटे जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है। महाजन में दिनभर की तेज तपिश और गर्मी के बाद रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। क्षेत्र के कई गांवों में बारिश हुई। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि शेरपुरा की रोही में कई जगह बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे खेतों में पक चुकी फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई है। क्षेत्र के सुई, शेरपुरा और बखुसर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में अचानक मौसम बदला। शेरपुरा की रोही में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

श्रीदुर्गराढ़ के पास धीरेदसर चोटियान में तेज हवाओं के साथ हुई

बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। करीब आधे घंटे तक लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया। बीकानेर के आसपास भी कुछ गांवों में बारिश हुई। बीकानेर शहर में बारिश नहीं हुई, लेकिन तेज हवाओं के साथ आए अंधड़ से लोगों को परेशानी हुई। कई घरों में मिट्टी भर गई। मौसम विभाग के अनुसार देर रात तक तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। अरजन्सर के किसान मदनलाल ने बताया कि खेतों में मोट की फसल पक चुकी है। ऐसे समय हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जब फसल को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब बारिश नहीं हुई और अब फसल पकने के बाद बारिश नुकसान पहुंचा रही है।

शाकम्भरी माता मंदिर की जमीन पर कब्जे का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी उपखंड के पपुरना स्थित शाकम्भरी माता मंदिर परिसर की जमीन से कथित अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने तहसीलदार सुभाषचंद्र को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर की भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द करने की मांग की।

तहसीलदार को दिए ज्ञापन में

■ **ग्रामीणों ने प्रशासन से मंदिर की भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द करने की मांग की**



ग्रामीणों ने पपुरना में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग

अधिकारियों को अवगत कराया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निर्वाचित किया गया था।

ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद मंदिर की भूमि पर किए गए कथित कब्जे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर से धैरव मंदिर तक के बीच के क्षेत्र की आबादी का सीमा ज्ञान करवाने की मांग

की है। ग्रामीणों के अनुसार सीमा ज्ञान के बाद मंदिर की भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर सकेगा।

ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर निर्माण एवं व्यवस्था के लिए पूर्व में ग्रामीणों की बैठक कर जमीन उपलब्ध कराई गई थी। उनका आरोप है कि बाद में कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते मंदिर की जमीन पर कब्जा कर लिया।



इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर मंदिर की भूमि का सीमांकन एवं सीमा ज्ञान कराया जाए तथा यदि जांच में कब्जा अवैध पाया जाता है तो उसे तत्काल हटाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में मोहन सिंह, शेर सिंह, सुमेर सिंह, महिपाल सिंह, अमरसिंह, राजपाल सिंह, श्रीपाल सिंह और समुंद्र सिंह सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे।

भरतपुर में शोरूम से लाखों की चोरी

भरतपुर, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने एक शोरूम को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के ब्रांडेड कपड़े और नकदी चोरी कर ली। चोर चांदपोल गेट के पास स्थित ड्यूक शोरूम में ऊपर का गेट तोड़कर दाखिल हुए और वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शोरूम मालिक धीरेंद्र शर्मा निवासी मुखर्जी नगर ने बताया कि चोर शोरूम से करीब तीन लाख रुपये से अधिक कीमत के रेडीमेड कपड़े तथा गल्ले में रखे करीब 30 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। वारदात से शोरूम संचालक को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। बताया गया कि चोरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले शोरूम के ऊपर रखे इन्वर्टा को बंद कर दिया, जिससे सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो गए। इसके बाद चोर शोरूम में दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।

अलग-अलग हादसों में दो की मौत

जोधपुर, (कासं)। निकटवर्ती मथनिया और बासनी एरिया में हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के उपरान्त परिजन को सुपुर्द किए।

मथनिया पुलिस ने बताया कि वैष्णव कॉलोनी तिवरी निवासी जसरज सुथार की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसके पिताजी माणकराम वैष्णव रविवार की शाम को बाइक लेकर तिवरी से निकल रहे थे। तब एक गाड़ी चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उपचार के बीच उनकी मौत हो गई।

इधर बासनी पुलिस के अनुसार मामा अचलेश्वर नगर सांगरिया निवासी काली ने रिपोर्ट दी कि उसका पति गोविंदराम आरजे ठेके के सामने से निकल रहा था। तब एक ट्रक चालक ने चपेट में ले लिया। हादसे में घायल उसके पति की अस्पताल में उपचार के बीच मौत हो गई।

समान परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि कल तक

बीकानेर, (निसं)। शिक्षा सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं से 12वीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। राज्य स्तरीय समान परीक्षा 2026-27 को लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए अंतिम मौका दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 30 रुपए प्रति परीक्षार्थी शुल्क निर्धारित है।

सामान्य शुल्क के साथ भुगतान की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर रात 11:59 बजे तक की गई है। इसके बाद स्कूलों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पहले शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 26 सितंबर निर्धारित थी, निर्धारित तिथि तक प्रदेश के 13 हजार निजी स्कूलों में से 50 फीसदी ने ही परीक्षा शुल्क जमा कराया है। विद्यार्थी हित को देखते हुए पूर्व निर्धारित 26 सितंबर की अंतिम

तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर की गई है। राज्य स्तरीय अर्द्धवार्षिक परीक्षा 15 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होगी। 16 सितंबर से परीक्षा शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अभी भी कई निजी स्कूल शुल्क जमा करने से वंचित हैं।

अरविंद शर्मा, सहायक निदेशक, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान विभाग के संशोधित आदेश के अनुसार 1 से 10 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा कराने पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 100 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। वहीं 11 अक्टूबर से परीक्षा शुरू होने तक शुल्क जमा कराने वाले स्कूलों से 1,000 रुपए प्रति विद्यार्थी असाधारण विलंब शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में समय पर शुल्क जमा नहीं कराने पर स्कूलों पर आर्थिक भार कई गुना बढ़ सकता है।

गैंगस्टर रोहित गोदारा का मकान तोड़ने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

मां की लगाई याचिका पर बीकानेर एसपी को जांच के आदेश दिये, 10 दिन में रिपोर्ट मांगी

बीकानेर, (निसं)। जिले के लूणकरणसर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के मकान को बुलडोजर से ढहाने का मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। मकान मालिक रोहित गोदारा की मां शकुंतला देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बीकानेर पुलिस अधीक्षक को शिकायत और दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए जाने वाले नए आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए। अगर आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

जानकारी अनुसार, 13 जुलाई की रात लूणकरणसर कब्जे से करीब 16 किलोमीटर दूर तेजाणा ढाणी स्थित रोहित गोदारा से जुड़े दो मंजिला मकान पर अचानक जेसीबी चला दी गई। रात में पहुंचे लोगों ने मकान के पिछले हिस्से को पूरी तरह ढहा दिया। दीवारें तोड़ने

- कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए जाने वाले नए आवेदन पर गंभीरता से विचार किया जाए
- अगर आरोपों में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए

के साथ मुख्य हिस्से के दरवाजे-खिड़कियां भी चोरी किए जाने का आरोप लगाया गया है। घटना के कई महीने बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि मकान को आखिर किसने और किसके आदेश पर ढहाया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि घटना के समय पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अगर जांच में यह पुष्टि होती है कि आरोपियों ने अनधिकृत रूप से संपत्ति रोहित गोदारा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। अब पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि मकान

तोड़ने की घटना में किन लोगों की भूमिका थी और कार्रवाई किस आधार पर की गई।

रोहित गोदारा केवल राजस्थान या भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर भी रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े मामले में अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने अपनी चार्जशीट में भी रोहित गोदारा का नाम दर्ज किया था। अमेरिका की ओर से भारतीय अपराधियों और उनके नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कई गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी सामने आती रही है।

किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी की पत्नी ने किया सहयोग

जोधपुर, (कासं)। जिला पश्चिम में एक किशोरी को दंपती ने हवस का शिकार बनाया। आरोपी पति ने किशोरी से दुष्कर्म किया और उसकी पत्नी ने सहयोग दिया। किशोरी की मां का दंपती के घर पर आना जाना था। पीड़िता की मां की तरफ से अब केस दर्ज कराया गया है। घटना 15 सितंबर की है। जांच एसीपी स्तर के अधिकारी की तरफ से की जा रही है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां का आरोप है कि बेटी ने घटना की जानकारी रविवार को दी। पुलिस ने पॉसटो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है।

- किशोरी की मां का दंपती के घर पर आना-जाना था

छोटेलाल के घर आती जाती थी। 15 सितंबर को छोटेलाल ने उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसमें उसकी पत्नी ने भी साथ दिया।

पीड़िता की मां का आरोप है कि बेटी ने घटना की जानकारी रविवार को दी। पुलिस ने पॉसटो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है।

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
निविदा सूचना
विश्वविद्यालय में सफाई व्यवस्था हेतु निविदा जारी की गयी है, जिसका यूबीएन GSU2627WSRC00016 है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://sppp.rajabasthan.gov.in व www.eproc.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
राज.सं.वा.द/सी/26/10835
वित निर्यंत्रक

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर
निविदा सूचना
विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रयंत्रों एवं लिफाफों के मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु दर संविदा जारी की गयी है, जिसका यूबीएन GSU2627GLRC00017 है। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी http://sppp.rajabasthan.gov.in व www.eproc.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
राज.सं.वा.द/सी/26/10831
वित निर्यंत्रक

कार्यालय नगर परिषद् बांसवाडा (राज.)
फ़ोन : 02962-243711, 247201, फ़ैक्स : 02962-243714 Email Id: palika.bsw@gmail.com
क्रमांक : एक 5/ (निर्माण/ न.प्र.वा./ 2026-2027 / 5558 दिनांक : 24.09.2026

निविदा सूचना स.15/2026-27 (NIB NO. DLB2627A909)
सक्षम स्तर पर पंजीकृत संवेदक से कुल 05 निर्माण कार्य जिसकी कुल लागत 117.25 लाख हेतु ऑनलाईन निविदा डाउनलोड की अवधि दिनांक 25/09/2026 प्रातः 9 बजे एवं दिनांक 03/10/2026 सांय 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधित अन्य शर्तें एवं विवरण पोर्टल https://sppp.rajabasthan.gov.in एवं http://eproc.rajabasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
UBN No. DLB2627WSOB020470, 20471, 20472, 20473, 20474 आयुक्त
राज.सं.वा.द/सी/26/10796 नगर परिषद्, बांसवाडा

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
क्रमांक : राजकाज 24725723 रीतिंक : 26/09/2026
ई-बिड सूचना संख्या :- ज्ञान विद्युत-प्रयत्न/21/2026-27
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से विद्युत कार्य हेतु संवेदकों से निर्धारित प्रयंत्र में ई-प्रोक्चुरमेन्ट प्रक्रिया से विद्युत कार्य हेतु BOT Basis पर ऑन लाईन बिड आमंत्रित की गई है। इन कार्य की अनुमानित लागत, बिड वेबे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, बिड शर्तें आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajabasthan.gov.in , www.jodhpurjda.org , www.sppp.rajabastn.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No.: JOD2627WSOB00331
NIB Code: JOD2627AO178
राज.सं.वा.द/सी/26/10824 अधीक्षायी अभियंता (विद्युत-I)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
निविदा सूचना (2026-27)
भूत कार्यालय (T&C) निगम की निविदा संख्या-28 (2026-27) के अन्तर्गत 132 केबी जीएफएस विव नगर के निर्माण के लिए अतिरिक्त अर्बिण कार्य हेतु सक्षम ठेकेदारों / फर्मों से ऑफलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा के भरी जाने, खुलने तथा अन्य दिनांकों का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://energy.rajabasthan.gov.in/rvppn/#/home/dp/THome , http://eproc.rajabasthan.gov.in एवं https://sppp.rajabasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
UBN क्रमाशः है – VPN2627WSOB01450
रा.स. वि.प्र.नि./TR-7807/2026
राज.सं.वा.द/सी/26/10861 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड.सी.), जोधपुर

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
निविदा सूचना
220 केवी दूरी-जयपुर (साउथ) PGCIL और 220 केवी दूरी-कोटा PGCIL लाइनों और 220 केबी KTPS हेरारपुर डीसी लाइनों की रिस्ट्रिक्चर (तार बदलना), लोकेशन नं. 1 (सकतपुर) से लोकेशन नम्बर 506 (लौलो वाईट) से 220केबी जयपुर साउथ लाइन तक, कुल लम्बाई 160 कि.मी.) अबल सर्किट टावर पर 06 कम्बडरट हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की पूर्ण जानकारी/निविदा की तारीख बढ़ाने की सूचना के दस्तावेज/विवरण देखने/डाउनलोड करने के लिये (http://eproc.rajabasthan.gov.in , http://sppp.rajabasthan.gov.in) एवम विभाग की वेबसाइट http://energy.rajabasthan.gov.in/rvppn पर उपलब्ध है।
UBN No. VPN2627SSOB01435
रा.स. वि.प्र.नि./TR-7800/2026
राज.सं.वा.द/सी/26/10855 अधीक्षण अभियन्ता (प्र. एवं नि.), सवाई माधोपुर

Office of The Executive Engineer Water Resources Division, Rawatsar
Notice Inviting Bid
(NIB Code- WRN2627A0064)
On Behalf of the Governor of Rajasthan, this office invite e-Bid of work from Registered Experienced Qualified and Eligible Contractors. Nature of works are "Balance Water of 5 cs Discharging capacity, efficient Horizontal type electrical pumps (2 no of pumps each one on either side of IGMN) of 20 m lift in village Lune ki Dhani and Dabli Khurd with outfall into IGMC" of estimated cost Rs 18.28 lakh/-of invited from prospective bidders upto 29.09.2026 at 1.00 PM. Other particulars of the bids may be visited on the procurement portal http://www.eproc.rajabasthan.gov.in , http://sppp.rajabasthan.gov.in of the state.
UBN Nos:- (WRN2627WSOB00177)
Executive Engineer Water Resources Division Rawatsar
DIPR/C/16696/2026

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
CIN:- U40102RJ200056CO16484 (राजस्थान सरकार का उपक्रम)
सुरतदाद सुपर क्रिटिकल बर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, सुरतदाद (राज.)
ऑनलाईन/ऑफलाईन निविदा आमंत्रण सूचना
निम्नलिखित वार्षिक अनुबंध/कार्य/सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-
325(RVU2627WSOB01299) Raw water reservoir की मरम्मत, 326(RVU2627WSOB01305) HP हीटर को हटाने और नए HP हीटर लगाने का कार्य, 425(RVU2627GLOB01309) रोलरय व आइसलर, 426(RVU2627GLOB01301) हाइड्रोलिक पम्प और ऑयल सर्कुलेशन पम्प, 427(RVU2627GLOB01304) साइड पेड लाइन्स, 29(RVU2627GLOB01302) अतिरिक्तमक पत्र और नार्डोशन करने की मशीन, 430(RVU2627GLOB01297) जर्नल शाफ्ट बेयरिंग, 431(RVU2627GLOB01298) LED लाइट की सलाह, इस्त्रिलेशन, लेट्रिज और कमीनलिंग, 324(RVU2627WSOB01303) SSCFPS की सुरक्षा ऑडिट का कार्य, 327(RVU2627WSOB01300) पावर रेक के रेटेल स्क्वयर के मॉडिफिकेशन एवं 428 (RVU2627GSOB01306) UHMW पीलीविथिलिन पेड की आपूर्ति। विस्तृत विवरण वेबसाईट www.eproc.rajabasthan.gov.in (ई-निविदा हेतु), www.sppp.rajabasthan.gov.in एवं www.energy.rajabasthan.gov.in/rvpm पर उपलब्ध है।
RVU/PPR-3475
राज.सं.वा.द/सी/26/10852 परियोजना प्रमुख (सुरतदाद सुपर क्रिटिकल)

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
क्रमांक : जविप्र/अ.अभि.-9/2026-27/डी-1216 दिनांक : 28.09.2026
निविदा सूचना
जविप्र/अधि.अभि.-9/08/2026-27, Job No. : 185/2026-27
जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 'Repair and Restrengthening of BT Road in Mahal Yojana (A Block Extension block, C,D,E,F, Block) समेक Zone-09, JDA, Jaipur जिसकी अनुमानित लागत राशि कर. 177.00 लाख के लिए ऑनलाईन बिड्स दिनांक 09.10.2026 को 06.00 P.M. बजे तक आमंत्रित की जाती है निविदा बोली का ऑनलाईन आवेदन व भुगतान जविप्र पोर्टल पर करने की अन्तिम तिथि 09.10.2026 को 06.00 P.M. बजे तक है।

‘हर 10 कि.मी. दूरी पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी सरकार’

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र सिंह खींसर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानव संसाधन, दवा-जांच सुविधाओं और मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की।

खींसर ने कहा कि प्रदेशवासियों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर पर सब-सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में 50 हजार सेंटर, प्रसव सुविधा वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने चिकित्सा संस्थानों के भवनों की सुरक्षा के लिए संस्था प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने तथा 3 माह में सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

‘23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे, 1.24 लाख को डिजिटाइज्ड किया’

जयपुर । भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के “ज्ञान भारतम मिशन” के तहत सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) ज्ञालाना में पाण्डुलिपि डिजिटलीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन तथा कला-संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पाण्डुलिपियां केवल अतीत को कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ना विकसित भारत की शक्ति है। कार्यशाला में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में राजकीय व निजी संग्रह, पुस्तकालयों, मंदिरों और मठों से करीब 23 लाख पाण्डुलिपियों का सर्वे किया गया है, जिनमें से 1.24 लाख का डिजिटलीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पाण्डुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्राचीन ग्रंथ और दस्तावेज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों को साथ लेकर तालपत्रों के संरक्षण, संस्कृत शब्दावली तैयार करने, विभागों में समन्वय बढ़ाने और युवाओं को शोध के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।

रिटायर्ड एडीजी से 2.1 2 करोड़ रु. की डिजिटल अरेस्ट ठगी का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने मात्र 5-6 हजार रुपए के कमीशन में बेच दिया था बैंक खाता

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, राजस्थान की टीम ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआर) के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) से 2.12 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चौमूं निवासी साहिल कुमार सुरेला को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5-6 हजार रुपए के कमीशन के बदले अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। पुलिस अब तक मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल आरोपी से पृष्ठताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर निवासी सेवानिवृत्त एडीजी ने रिपोर्ट में बताया कि 9 से 18 अगस्त 2026 के बीच ठगों ने मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को पुलिस और केंद्रीय सरकारी



आरोपी साहिल कुमार

एजेंसियों का अधिकारी बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी वारंट जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेना का डर दिखाया।

ठगों ने उन्हें लगातार वॉट्सएप वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और लाइव लोकेशन चालू रखने के साथ किसी से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी। फर्जी सरकारी पत्र और गिरफ्तारी वारंट भेजकर बैंक खातों की जांच के

■ गिरफ्तार बदमाश ने अपने आधार नंबर में भी ठग का मोबाइल नंबर अपडेट कराया था

नाम पर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। डर के चलते पीड़ित ने 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के खाते में 2.02 करोड़ रुपए और 18 अगस्त को यस बैंक के खाते में 10.10 लाख रुपए के जरिए जमा करा दिए। इस तरह कुल 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की ठगी हुई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट, सीडीआर और केवाईसी दस्तावेजों की पड़ताल की। इसमें ठगी की रकम का एक हिस्सा साहिल कुमार सुरेला के आईडीएफसी फस्ट बैंक खाते में पहुंचना सामने आया।

पृष्ठताछ में साहिल ने बताया कि उसकी मुलाकात रवि कुमार घोसल्या से हुई थी। रवि ने अपना बैंक खाता बंद

गुमनाम रहकर बाल यौन शोषण सामग्री फैलाने वालों की खैर नहीं : एडीजी वी.के.सिंह

जयपुर (कासं)। बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (सीएसईएम) के प्रसार के खिलाफ राजस्थन पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी सामग्री देखना, डाउनलोड करना, रखना या साझा करने वालों पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश यूआरएल/सोशल मीडिया प्रोफाइल, 15 हजार 326 मोबाइल नंबर और 100 डिवाइस चिन्हित कर ब्लॉक करवाए गए हैं।

एनसीएमईसी की टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर चूरू, नागौर, अलवर, खैरथल-तिजारा, सोकर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं।



एडीजी वी. के. सिंह

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम वी.के.सिंह ने बताया कि तकनीकी विश्लेषण और एनसीएमईसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल ट्रेल की पहचान की जा रही है। इसके बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवा

होने की बात कहकर साहिल के नाम से खाता खुलवाने के लिए कहा। गत 11 जून 2026 को वह साहिल को आईडीएफसी फस्ट बैंक की चौमूं-काचौलिया रोड शाखा ले गया और उसके नाम से खाता खुलवाया।

उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम शान्तनु कुमार सिंह के अनुसार रवि ने खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कराई तथा एटीएम कार्ड और बैंकिंग किट अपने पास रख ली। इतना ही नहीं, साहिल के आधार कार्ड में भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराया। पुलिस पृष्ठताछ में सामने आया कि बैंक खाता उपलब्ध कराने के बदले साहिल को शुरुआत में कुछ रुपए और बाद में 5 से 6 हजार रुपए कमीशन दिया गया। इसके अलावा उसके निजी खर्च के लिए अलग-अलग दुकानों और पेट्रोल पंपों के क्यूआर कोड पर 3 से 4 हजार रुपए भी डलवाए गए। पुलिस अब मामले में रवि कुमार घोसल्या की भूमिका और ठगी की रकम की आगे की मनी ट्रेल की जांच कर रही है।

- राजस्थान पुलिस ने 15 हजार से अधिक नंबर ब्लॉक किए, टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड के ग्रुप भी की रूखा पर**
- एनसीएमईसी टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर कई जिलों में एफआईआर दर्ज**

प्रदाताओं को जानकारी देकर आपत्तिजनक लिंक, प्रोफाइल और मोबाइल नंबर ब्लॉक करवाए जा रहे हैं।

टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड के ग्रुप बने माध्यम
पुलिस के अनुसार सीएसईएम के प्रसार के लिए टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर गुप्त या पेड ग्रुप और चैनल बनाए जाते हैं। इनमें लोग फर्जी अथवा गुमनाम पहचान के साथ जुड़कर आपत्तिजनक सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं।

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक बिजनेसमैन को वॉट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने और एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयपुर नगर निगम चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बिजनेसमैन को धमकाया गया। धमकी देने के लिए जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया, वह टूकॉलर पर पटवारी रविन्द्र कुमार महावर के नाम से प्रदर्शित हुआ। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जांच अधिकारी एसएसआई किशन लाल ने बताया कि बस्सी निवासी बिजनेसमैन का ऑफिस जवाहर सर्किल क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका में है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 18 सितंबर की दोपहर को वह ऑफिस में बैठा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने चार दिन में एक करोड़ रुपए मांगे और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि 4 दिन में उसके बताए स्थान पर एक करोड़ रुपए पहुंचा देना, अन्यथा चार दिन के अंदर जान से मार दिया जाएगा। बच्चों के अनाथ होने की धमकी देते हुए कहा गया कि चार दिन की ज़िंदगी जी ले, पांचवां दिन नहीं देख पाएगा। धमकी भरा कॉल आने के बाद

बिजनेसमैन ने मोबाइल नंबर को टूकॉलर पर चेक किया। नंबर रविन्द्र कुमार महावर के नाम से प्रदर्शित हुआ। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि रविन्द्र कुमार पहले दांतली-सिरौली क्षेत्र में पटवारी रह चुका है, इसलिए वह उसे पहले से जानता है। इसके बाद बिजनेसमैन ने रविन्द्र से संपर्क किया। रविन्द्र ने बताया कि करीब चार दिन पहले उसने यह सिम हरियाणा में रहते वाले अपने एक दोस्त को दी थी। उसने दोस्त से बात करने की बात कही। बाद में रविन्द्र ने पीड़ित को बताया कि अब आगे से कोई कॉल नहीं आएगा। पुलिस के अनुसार पृष्ठताछ में रविन्द्र ने बताया कि 17 सितंबर को वह अपने दोस्तों कपिल शर्मा, मुनीराज मीणा और रामलाल मीणा के साथ विराटनगर स्थित एक फार्म हाउस पर गया था। रात में पार्टी नहीं हुई। अगले दिन 18 सितंबर की सुबह नहाने के बाद चारों ने पार्टी शुरू की। पुलिस के अनुसार इसी दौरान जयपुर नगर निगम के वार्ड 61 से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रामलाल मीणा ने चुनाव हारने की बात कही। कपिल शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि बिजनेसमैन ने चुनाव में रामलाल को हारने के लिए वार्ड में पैसे बांटे थे। इसके बाद कपिल ने रविन्द्र का मोबाइल लेकर बिजनेसमैन को वॉट्सएप कॉल किया और धमकी दी।

राजस्थान की पर्यटन क्षमता प्रदर्शित

मुंबई । होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (एचआरएआर) ने 26-27 सितंबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित “मेराज 3.0” में राजस्थान की पर्यटन, आतिथ्य, संस्कृति और खान-पान की विविधता प्रदर्शित की। एचआरएआर के विशेष प्रवेलियन में जयपुर, जोधपुर, सूरिकता, प्रतापगढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, पुष्कर और जैसलमेर सहित विभिन्न क्षेत्रों के 10 प्रमुख होटल एवं आतिथ्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन के दौरान टैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, खरीदार और पर्यटन कारोबार से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ व्यापक बी2बी बैठकें हुईं, जिससे नए व्यावसायिक अवसरों की संभावनाएं बनीं। पवेलियन में राजस्थान की क्षेत्रीय सामान्य सोशल मीडिया प्रोडिक्टफॉर्म के साथ कम प्रसिद्ध एवं उभरते पर्यटन स्थलों और नए पर्यटन सर्किट्स को भी बढ़ावा दिया गया।

तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

जस्टिस मनीष शर्मा ने यह निर्देश बच्चे की अपने मां के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि याचिकाकर्ता 14 साल का नाबालिग बच्चा है। उसके माता-पिता की शादी जून 2010 में हुई थी। आपसी सहमति से उनके बीच तलाक हो गया और अक्टूबर 2017 में तलाक की डिक्री में उसको कस्टडी मां को दी गई।

इस दौरान साल 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट सिंगल पेरेंट के तौर पर बनवाया, जो 7 मई 2024 तक वैध था। उसमें केवल याचिकाकर्ता की मां का नाम लिखा था। याचिकाकर्ता की मां ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो पासपोर्ट ऑफिस ने 13 मई 2024 के

आदेश से उसे पिता के नाम का शपथ पत्र देने के लिए कहा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट पिता का नाम दर्ज किए बिना जारी हो चुका है तो नवीनीकरण के समय पिता के नाम को जरूरी करना सही नहीं है।

इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल प्रावधानों और विदेश मंत्रालय के 28 फरवरी 2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार शादीशुदा माता-पिता से पैदा नाबालिग बच्चे के मामले में दोनों जैविक अभिभावक के नाम उपलब्ध कराना जरूरी है, चाहे बाद में उनका तलाक हो गया हो। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं है।

सार-समाचार आर.सी.टी. की नई तकनीकों पर मंथन



जयपुर (कासं)। इंडियन डैटल एसोसिएशन (आईडीए) राजस्थान शाखा की ओर से जयपुर में इंडियन डैटल एक्सपर्ट कांग्रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आरसीटी (रूट कैनाल ट्यूटमेंट) की नई ऑब्जुरेन तकनीकों पर विशेष सत्र हुआ। सत्र में मुंबई के डॉ. अजीत शांलिग्राम ने आधुनिक ऑब्जुरेशन तकनीकों और उनके क्लिनिकल उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईडीए के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. हरीश भारद्वाज रहे, जबकि अध्यक्षता आईडीए राजस्थान के सचिव डॉ. जे. एस. वालिया ने की। कार्यक्रम में भरतपुर के वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. धर्मेन्द्र शर्मा, आईडीए जयपुर ग्रेटर के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत भारद्वाज, सचिव डॉ. सुनील राघव, डॉ. अभिलाषा वालिया और डॉ. राजेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में दंत चिकित्सकों ने भाग लिया।

कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत का स्वागत



जयपुर । ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (एयारयूटीए) के अध्यक्ष प्रो. बी.डी. रावत एवं उपाध्यक्ष प्रो. मधुसूदन के नेतृत्व में वरिष्ठ शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों एवं पेशनरों की लंबित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को बताया कि 29 नवंबर 2018 के उच्चमन न्यायालय के निर्णय के अनुसार 98 वरिष्ठ शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से करियर एडवॉंसमेंट स्कीम (सीएसए) का लाभ दिया जाना है। विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग, यूजीसी दिशा-निर्देश, राज्य सरकार के निर्देश और चयन समिति की प्रक्रिया के बाद इन शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया जा चुका है तथा सिंडिकेट ने 21 सितंबर 2021 को पदोन्नति पत्र जारी किया थे। विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की समीक्षा याचिकाएं भी 5 नवंबर 2019 को खारिज हो चुकी हैं। बैठक में प्रो. मीनाक्षी चतुर्वेदी, प्रो. बी.एल. गुप्ता, प्रो. अनिल बंसल एवं प्रो. आर.के. गुर्जर ने विश्वविद्यालय की समस्याओं में सुधार के सुझाव दिए। प्रो. बी.डी. रावत ने पेशनरों को व्यवस्थित ढंग से पेशान दिलाने की मांग भी रखी। अंत में प्रो. मधु भट्ट एवं प्रो. सोमना दत्तने कुलपति का आभार जताया।

अनुभवात्मक शिक्षक विकास कार्यक्रम



जयपुर । राजस्थान विश्वविद्यालय के आर.ए. पोद्दार प्रबंधन संस्थान (आरएपीआईएम) में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक-सप्ताह के अनुभवात्मक शिक्षक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से 250 से अधिक शिक्षक-शिक्षकों की कार्यक्रम में सहभागिता रही। आयोजन वीवीयूएसएस ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), आईयूसीटीई-बीएचयू और आरएपीआईएम के सहयोग से किया। आरएपीआईएम निदेशक प्रो. अनुराग शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, संवाद एवं चिंतन के माध्यम से शिक्षण क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में विद्यार्थी-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। प्रो. संजय शर्मा, प्रो. जे.एन. बालिया, डी. रामकृष्ण राव, भरत भाई ढोकाई सहित विशेषज्ञों ने पंचकोश आधारित समग्र विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, पंचपदी शिक्षण पद्धति और निरंतर व्यावसायिक विकास पर विचार रखे। सम्पन्न सत्र में एमआईटीआरए मोबाइल ऐप एवं इमर्स्लीमेंटेशन हैडबुक की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों ने आवॉरेटिड विद्यालयों में कक्षा-अवलोकन एवं अनुभवात्मक गतिविधियों में सहभागिता की।

414 करोड़ रु. के मृत्यु दावों का निपटारा

जयपुर । आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 99.31 प्रतिशत का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दर्ज किया। कंपनी के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों (फॉर्म एल-39 और एल-40) के आधार पर यह भारत की प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों में सर्वाधिक है। इस अवधि में कंपनी ने 414.08 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत मृत्यु दावों का निपटारा किया। कंपनी के अनुसार, प्रमुख जीवन बीमाकंपनीओं में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका प्रति दावा औसत मूल्य करीब 15 लाख रुपए रहा, जो सर्वाधिक है। बिना जांच वाले मामलों में अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से क्लेम निपटारने का औसत समय केवल एक दिन रहा। आईसीसीआईआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस के चीफ-अंडरराइटिंग एंड रिटेल क्लेम्स सारंग गोखले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि “क्लेम फॉर श्योर” पहल के तहत पात्र दावों में करीब 75 करोड़ रुपए का भुगतान एक ही दिन में किया गया।

अजमेर : कर्ज चुकाने के लिए की थी टैक्स की चालक की हत्या, दो भाई गिरफ्तार

अजमेर, (निसं)। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र में गगवाना पुलिस के पास लावारिस हालत में खड़ी अर्टिंगा कार में मिले टैक्सी चालक श्रीकांत तिवारी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड की इस वारदात में शामिल गाजियाबाद निवासी दो सगे भाइयों कौशल सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, सूरज सिंह पर करीब 6 से 7 लाख रुपये का कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए दोनों भाइयों ने टैक्सी लट्टने की योजना बनाई और इसी इरादे से नोएडा से गुजरत कर वडोदरा तक के लिए टैक्सी बुक की थी। पुलिस के मुताबिक, रास्ते में टैक्सी चालक श्रीकांत के सतर्क रहने और वाहन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के कारण आरोपियों को कार लट्टने का मौका नहीं मिल रहा था। इसके बाद आरोपियों ने मौका मिलते ही चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान श्रीकांत की मौत हो गई। वारदात को सड़क हादसा दिखाने के लिए आरोपियों ने कार को सड़क किनारे खड़ी पिकअप से



पुलिस ने हत्याकांड की वारदात में शामिल गाजियाबाद निवासी दो सगे भाइयों कौशल सिंह और सूरज सिंह को गिरफ्तार किया।

टकराकर क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि गत 21 सितंबर को गेगल थाना पुलिस को गगवाना पुलिस के पास राजमार्ग किनारे एक लावारिस और क्षतिग्रस्त अर्टिंगा कार खड़ी होने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार की बीच वाली

सीट के पास एक व्यक्ति का शव मिला। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने मौके पर चलिंत विधि-विज्ञान दल और अन्य तकनीकी दलों को बुलाकर घटनास्थल और वाहन की जांच कराई। कार से मिले पहचान संबंधी दस्तावेज और तकनीकी सहायता के आधार पर मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों ने शव की पहचान

- नोएडा से वडोदरा के लिए टैक्सी बुक कर रास्ते में वारदात अंजाम दी
- आरोपियों ने हत्या के बाद हादसे का रूप देने के लिए पिकअप से भिड़ाई थी कार

श्रीकांत तिवारी निवासी डिबियापुर, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश के रूप में की। श्रीकांत टैक्सी चालक था। इसके बाद मृतक के परिजन की रिपोर्ट पर गेगल थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अजमेर पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग दल गठित किए। पुलिस दलों नेव्यावर से लेकर बगरू तक घटना स्थल की ओर आने-जाने वाले मार्गों पर लगे 60 से अधिक निगरानी कैमरोंकी तस्वीरें खंगालीं। व्यावर, गेगल, किशनगढ और बगरू शुल्क नाके सहित विभिन्न स्थानों की तस्वीरों का विश्लेषण किया गया। तकनीकी सहायता से प्राप्त तस्वीरों में संदिग्धों के हुलिए का मिलान किया गया और उनकी आवाजवाही का मार्ग-मानचित्र तैयार किया गया। इसके बाद

संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस के अलग-अलग दलगाजियाबाद और दिल्ली भेजे गए।

पुलिस दलों ने गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में करीब तीन दिन तक संदिग्ध आरोपियों के स्थानीय संपर्कों और गतिविधियों पर नजर रखी। पुछता जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से 27 सितंबरको गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कौशल सिंह (26) और उसके छोटे भाई सूरज सिंह (22) के रूप में हुई है। दोनों गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के जमाईपुरा इलाके में रहते हैं। पुलिस पृष्ठताछ में दोनों ने टैक्सी चालक की हत्या में शामिल होना स्वीकार किया है।

दयानंद महाविद्यालय में तीन सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन

अजमेर(निसं)। ब्यावर रोड स्थित दयानंद महाविद्यालय में छात्रों की तीन सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर मानव श्रृंखला बनाकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग

- एनसीसी एनरोलमेंट में देरी और खिलाड़ियों को समय पर खेल सामग्री नहीं मिलने का आरोप

उठाई। प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। छात्र नेता कृष्णा ठाकुर व मोनू प्रजापत ने बताया कि प्रदर्शन के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं एवं छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य लक्ष्मीकांत को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग

शहीद भगतसिंह जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम

अजमेर,(निसं)। वैशाली नगर स्थित शहीद भगतसिंह उद्यान में शहीद-ए-आजम भगतसिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद रितु रानी सहित उद्यान विकास समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भगतसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। क्षेत्रीय पार्षद रितु रानी ने कहा कि 28 सितंबर केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के इतिहास में अदम्य साहस, त्याग और देशभक्ति की याद दिलाने वाला दिन है। भगतसिंह ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से देशवासियों के मन में आजादी की भावना को मजबूत किया। उद्यान विकास समिति की कोर कमटी के सदस्य राजेंद्र गांधी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों से उद्यान परिसर गुंज उठा। उपस्थित लोगों ने ‘भगतसिंह अमर रहें’ के नारे लगाते हुए उनके बलिदान को याद किया। कार्यक्रम से पूर्व आभा गांधी, अनू ज़िंदल और अनोता राठी ने पार्षद रितु रानी का माल्यार्पण एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया।

सार-समाचार चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता के 18 विजेता सम्मानित



अजमेर(निसं)। उत्तर पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, अजमेर मंडल की ओर से आयोजित ‘मौके पर चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता’ के विजेताओं के लिए पुस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम सहीताल के अध्यक्ष रिकल भूटड़ा की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर संगठन की सचिव ज्योति ऊषाहार, कोषाध्यक्ष सुषमा कुमारी सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निर्णायकों के मूल्यांकन के बाद निबंध प्रतियोगिता के 9 और चित्रकला प्रतियोगिता के 9, कुल 18 प्रतिभाशाली बच्चों की प्रमाण-पत्र एवं पुस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए रिकल भूटड़ा ने विजेता बच्चों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रचनात्मक प्रतियोगिताएं बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को भी प्रोत्साहित करती हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों और बच्चों का आभार व्यक्त किया गया।

झुगी बस्ती के बच्चों को पोषण व स्वस्थ जीवन का संदेश दिया

पुष्कर(निसं)। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान की ओर से पुष्कर स्थित झुगी बस्ती में लहने वाले बच्चों के लिए पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब 100 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पोष्टिक एवं संतुलित आहार के महत्व की सरल भाषा में जानकारी दी गई। उन्हें प्रोटीन, विटामिन और शरीर के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्वों की उपयोगिता के बारे में बताया गया। बच्चों को चना, दाल, मूंग और सोयाबीन जैसे पोष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन भी कराया गया तथा इनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी गई।बच्चों को नियमित एवं संतुलित भोजन करने, स्वच्छता का ध्यान रखने और स्वस्थ खान-पान की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। संस्था की ओर से बताया गया कि बच्चों के बेहतर शारीरिक विकास और स्वस्थ जीवन के लिए उचित पोषण आवश्यक है।कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पोष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व को समझा। कार्यक्रम में राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान की प्रतिनिधि सुमन मेघवंशी एवं सुरभि कलौंसिया का सहयोग एवं सहभागिता रहा।

कार्यकरिणी गठित, गहलोत अध्यक्ष व पलड़िया सचिव बने



मेड़ता सिटी (निसं)। नवरात्रा महोत्सव समिति सिद्धि विनायक मंदिर जेजरण चौकी की रविवार रात सिद्धि विनायक मंदिर प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी नवरात्रा महोत्सव को लेकर चर्चा की गई वही नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अर्जुन राम गहलोत (जीतू भाई) को नवरात्रा महोत्सव समिति का अध्यक्ष चुना गया। वही उपाध्यक्ष भूरा राम माली, सचिव सुनील पालड़िया, कोषाध्यक्ष गणेश गहलोत व सह कोषाध्यक्ष मनोज सोनी बाबरा को चुना गया। वही कार्यकारिणी का विस्तार करते हुवे मीडिया प्रभारी सुनील पूरी, पप्सा जांगिड़, महेन्द्र टेलर सह सचिव के पद पर सुमेर सेनी, सागर सांखला, महेन्द्र निम्बावत , मुकेश दाधीच , सुशील टाय, हिम्मत सिंह भीवरज माली, राजू राम सेन, संगठन मंत्री के पद पर श्याम सांखला, सुरेश वैष्णव, आशीष सोनी, विष्णु भाटी, अंकित सोनी , वही सोशियल मीडिया प्रचार प्रसार के पद पर पीयूष सोनी, धर्मांतराम सांखला, गौतम सोनी को चुना गया। वही सदस्य के रूप में रामावतार सांखला, कालू गहलोत, सुरेश सांखला, सुनील तंवर, पूना राम सांखला, मुरली रंकावत, सुनील सांमरिया, जोर सिंह पंवार, उमदे सोनी, शेर सिंह पंवार, भंवर जादम, जितेंद्र गहलोत, भरत बन्ना, मान सिंह पंवार, मनोहर राणा को सर्व समिति से चुना गया।

शूटिंग राइफल में गोल्ड मेडल पर सम्मानित व्यावर (निसं)। गौसेवा संस्थान के संस्था प्रमुख सतीश गर्ग ने बताया कि व्यावर जिले का नाम शूटिंग राइफल में गोल्ड मेडल प्राप्त कर रोशन करने वाली खिलाि नव्या कोठारी सुपुत्री नीलम सिंह कोठारी का संस्था की ओर से माला पहनाकर और गौतमा का स्मृति चिन्ह भेंट कर हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर संस्था के पदम विनायकिया,कैलाश सोनी, आयुष मोदी, नरेश गुप्ता, राहुल, शिवांग ज़िंदल उपस्थित रहे।

भीलवाड़ा : साक्ष्य और स्वतंत्र गवाहों के अभाव में आरोपी दम्पती बरी

यह मामला संपत्ति विवाद और पुरानी रंजिश से संबंधित था

भीलवाड़ा, (निसं)। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़े लगभग नौ साल पुराने एक फौजदारी मामले में स्थानीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के संतोषजनक सबूत और स्वतंत्र गवाह पेश न कर पाने के कारण अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। अभियुक्त की ओर से पेरवी अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, भीलवाड़ा ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त रामेश्वर लाल दरोणा और उनकी पत्नी धापू देवी को आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला संपत्ति विवाद और पुरानी रंजिश से संबंधित था। प्रार्थी का रतनदास द्वारा पुलिस थाना हमीरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके पिता द्वारा खरीदे गए एक पुराने नोहरे (बाड़े) को लेकर विवाद चल रहा था। प्रार्थी का

आरोप था कि जब वह उक्त नोहरे का सोदा बालू जाट नामक व्यक्ति को करके कब्जा सुपुर्द करने गया था, तब आरोपी रामेश्वर लाल दरोणा और उसकी पत्नी धापू देवी वहां आए और जमीन न बेचने की बात कहते हुए उसके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। प्रार्थी पक्ष का यह भी आरोप था कि इस दौरान उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों को परीक्षण कराया गया और विभिन्न दस्तावेज व मेडिकल रिपोर्ट पेश किए गए। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मुकेश सुवालका ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष घटना को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

न्यायालय ने पाया कि घटना स्थल के आसपास घनी आबादी होने के बावजूद पुलिस द्वारा तैयार किए गए नक्शा मौका में किसी भी स्वतंत्र गवाह या पड़ोसी के

हस्ताक्षर नहीं कराए गए थे। पुलिस द्वारा मारपीट में प्रयुक्त कथित लकड़ी (हथियार) को भी बरामद नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न हुआ। चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिवनारायण यादव ने अपनी गवाही के दौरान स्वीकार किया कि एक्स-रे रिपोर्ट में हड्डी के फ्रैक्चर के बीच कोई स्पष्ट गैप नजर नहीं आ रहा था और चोटें कठोर धरातल पर गिरने से भी आ सकती हैं। इसके अलावा, प्रार्थी के शरीर पर केवल दो ही चोटें पाई गईं। पत्रावली पर यह भी सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व में भी मामले दर्ज हुए थे और यह विवाद पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

महापौर ने वाडों का नियमित निरीक्षण किया

अजमेर(निसं)। नगर निगम महापौर अनामिका शर्मा ने सोमवार सुबह अपने सहयोगियों के साथ शहर के विभिन्न वाडों का नियमित निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नर्सिंहपुरा, माली मोहल्ला, वीणा विहार, रविदासपुरा और गीता कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर ने इस दौरान स्थानीय आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त किए। लोगों ने सफाई, नाली सहित स्थानीय स्तर की विभिन्न समस्याओं से महापौर को अवगत कराया। महापौर ने संबंधित समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान के लिए अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जहां कहीं व्यवस्थाओं में कमी दिखाई दी, वहां महापौर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

सेवा शिविर में किसान की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हुआ

- प्राथी के सभी दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता थी, सेवा शिविर में नाम शुद्धिकरण से योजनाओं का रास्ता खुला

भीलवाड़ा, (निसं)। विकसित भारत जन सेवा अभियान-2026, सेवा सेतु अभियान- 2026 के तहत सोमवार को गिरदावर सर्किल काछोला, तहसील काछोला में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य जिसमें खाता दुरुस्ती, नामान्तरण, सहमित विभाजन, फार्मर रजिस्ट्री आदि कार्य मौके पर ही निस्तारित किये गये। शिविर में ग्राम काछोला निवासी हरिसिंह पिता दवरूप सिंह सोलंकी ने अपने नाम के शुद्धिकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। प्राथी के सभी दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड में नाम में भिन्नता होने से सभी सरकारी योजना जैसे किसान, फसल बीमा योजना, एवं के.सी.सी. और अन्य योजनाएं आदि से वंचित होना पड़ रहा है। शिविर प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक काछोला

एवं पटवारी हल्का काछोला को प्राथी के नाम दुरुस्ती बाबत प्रकरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड सलंगन दस्तावेज व आमजन से पूछताछ कर तुरंत जांच रिपोर्ट शिविर प्रभारी के समक्ष पेश की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिविर प्रभारी द्वारा मौके पर ही नाम शुद्धिकरण का आदेश जारी किया गया।

इस त्वरित कार्यवाही से आवेदक को लम्बे समय से चली आ रही राजस्व रिकॉर्ड संबंधी समस्या से राहत मिली। शिविर में ग्राम काछोला निवासी शिवकुमार पिता दुर्गालाल लुहार ने

शिविर प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड में मुझे प्राथी विश्वप्रकाश पुत्र दुर्गालाल, मांगी देवी पत्नी दुर्गालाल, राधा पुत्री दुर्गालाल, सोमा पुत्री दुर्गालाल का नाम की दोहरी प्रविष्टि हो रही है जिसको एकल करने बाबत आवेदन किया। प्राथी के राजस्व रिकॉर्ड में दोहरी प्रविष्टि होने से राजस्व संबंधित सभी कार्य बाधित हो रहे हैं। शिविर प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का काछोला को प्राथीगणों के दोहरी प्रविष्टी को एकल करने बाबत प्रकरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया।

एक साल के बच्चे ने खेलते समय नौ चुंबकीय गोलियां निगली

लगातार चुंबकीय दबाव के कारण बच्चे की आंतों में 16 स्थानों पर छेद हो गए थे

अजमेर, (निसं)। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज, अजमेर में चिकित्सकों ने एक साल के मासूम की जटिल शल्य चिकित्सा कर उसकी जान बचाई। बच्चे ने खेलते समय गलती से 9 चुंबकीय गोलियां निगल ली थीं। ये गोलियां आंतों में पहुंचकर अलग-अलग हिस्सों को आपस में खींचकर चिपक गईं। लगातार चुंबकीय दबाव के कारण बच्चे की आंतों में 16 स्थानों पर छेद हो गए और उसकी हालत गंभीर हो गई। चिकित्सकों ने तत्काल शल्य चिकित्सा कर चुंबकीय गोलियां बाहर निकालीं तथा क्षतिग्रस्त आंतों का उपचार किया। उपचार के बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई है।

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु शल्य विभाग की टीम ने यह जटिल शल्य चिकित्सा की। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉ. अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद खें और उप अधीक्षक डॉ. अमित यादव ने बताया कि बच्चे द्वारा



जेएलएन अस्पताल में शिशु की जटिल शल्य चिकित्सा कर चिकित्सकों ने जान बचाई।

चुंबकीय गोलियां निगलने के बाद शुरुआत में स्थानीय स्तर पर उसका उपचार कराया गया था। उस समय समस्या की गंभीरता सामने नहीं आ सकी। कुछ समय बाद बच्चे का पेट फूलने लगा और उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन उसे जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के शिशु शल्य विभाग में

डॉ. गरिमा अरोड़ा ने बच्चे की विस्तृत जांच कर आवश्यक परीक्षण करवाए। जांच के दौरान पता चला कि बच्चे की आंतों में 9 चुंबकीय गोलियां फंसी हुई थीं। चुंबकीय आकर्षण के कारण आंतों के अलग-अलग हिस्से आपस में चिपक गए थे। इसके चलते आंतों में 16 स्थानों पर छेद हो गए थे। इससे संक्रमण और आंतों में रुकावट की

गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी। बच्चे की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बिना देरी किए शल्य चिकित्सा करने का निर्णय लिया। शल्य चिकित्सा के दौरान आंतों में फंसी सभी चुंबकीय गोलियां निकाली गईं। इसके साथ ही आंतों में हुए छेदों और चुंबकीय दबाव से हुई क्षति का उपचार किया गया।

इस जटिल शल्य चिकित्सा में डॉ. गरिमा अरोड़ा, डॉ. दिनेश बारोेलिया और शिशु शल्य विभाग की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं बेहोशी एवं शल्य चिकित्सा विभाग की ओर से डॉ. अरविंद खरे, डॉ. रतन यादव और उनकी टीम ने सहयोग किया। सफल शल्य चिकित्सा और उपचार के बाद बच्चे की हालत में तेजी से सुधार हुआ। चिकित्सकों की निगरानी में स्वस्थ होने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई। चिकित्सकों ने अभिभावकों को सावधान करने हुए बताया कि बच्चों द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को निगलना बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है।



ब्यावर रोड स्थित दयानंद महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों सेएनसीसी एनरोलमेंट के नाम पर शुल्क तो ले लिया गया है, लेकिन अब तक उनका एनरोलमेंट नहीं किया गया है,

जबकि एनसीसी एनरोलमेंट की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि एनरोलमेंट में देरी के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से मांग की कि एनसीसी एनरोलमेंट की प्रक्रिया

जल्द पूरी कर छात्रों को राहत दी जाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के खिलाड़ियों को समय पर खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को आवश्यक स्पोर्ट्स सामग्री समय पर नहीं मिलने से उनकी तैयारियां प्रभावित होती हैं। एबीवीपी ने खेल सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था में सुधार करने की मांग की।

मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

अजमेर(निसं)। मांगलियावास थाना क्षेत्र के तबीजी गांव निवासी फूलचंद दायमा ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत की है। मामले को लेकर फूलचंद दायमा सोमवार को गांव के भंवरलाल सोनी के साथ अजमेर पहुंचे और जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। ज्ञापन में फूलचंद दायमा ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। घटना के संबंध में उसने मांगलियावास थाने में शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद पुलिस की ओर से मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। फूलचंद ने यह

सेवा कार्यों के साथ पुण्यतिथि मनाई

अजमेर(निसं)। लॉयंस क्लब की पूर्व बहु-मंडल परिषद अध्यक्ष स्व. ललित दवे की पुण्यतिथि पर सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न क्लबों की ओर से रविवार को सेवा कार्य किए गए। महिला सशक्तिकरण की प्रतीत्य सभापति लावन आभा गांधी ने बताया कि लॉयंस क्लब अजमेर शौर्य की ओर से लोहागल रोड स्थित नगर निगम की गोशाला में एक टूटली हरा चारा 300 से अधिक अशक्त गायों को डाला गया। लॉयंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से महावीर सर्किल, गंज स्थित कबूतरशाला में कबूतरों के लिए 51 किलो ज्वार डलवाई गई।

क्रमांक :	न.नि.अ/बयन/25-26/233	आगति सूचना	दिनांक : 23/09/26
-----------	----------------------	------------	-------------------

श्री सविधर सिंह पुत्र सुधी श्री व्रिरोक्ष सिंह, श्री व्रिरोक्ष सिंह पुत्र सुधी प्रेम सिंह निवासीगण 1353/52 मुक्त भूम अखतर गेट अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति ए.एस.सी. नं. 15/250 अस्था 1/30 10444/14 पृष्ठा विंता तालुक जलोनीन गेट अजमेर ने रिस्त है जिसका कुल क्षेत्रफल 417.33 वर्ग मी. है भूमि के मातरत प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र खींचकृति हेतु निर्माण प्रारं में इस कार्यालय आवेदन पर प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है ।

पूर्व - श्री अमोदचंद जी के सम्पत्ति उत्तर - अन्य की सम्पत्ति पश्चिम - साहजींद सरता दक्षिण - इसी जखदर ए.एस.सी नं. 19/349 का अन्य भाग है अतः - जॉरि इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर- अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोर दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । बाद मिवाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। - अजयकु नगर निगम, अजमेर

क्रमांक :	न.नि.अ/बयन/25-26/237	आगति सूचना	दिनांक : 28/09/26
-----------	----------------------	------------	-------------------

श्री अजुल जैन पुत्र श्री नीवी चंद जैन निवासी बी-55 छत्री योजना वैशाली नगर, अजमेर द्वारा एक सम्पत्ति ए.एस.सी. नं. 14/439 पुरना 244/5 नया जो बंधे अपनरा गेट उत्तर पर भागवद सेनो जी की नरिबां के सामने सोमानी भवन गज मोहल अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 126.78 वर्ग मी. है भूमि के मातरत प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र खींचकृति हेतु निर्माण प्रारं में इस कार्यालय आवेदन पर प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार है ।

पूर्व - रास्ता गांभी पश्चिम - रस्तु की सम्पत्ति उत्तर - इसी जखदर ए.एस.सी नं. 19/372 की मनीष की दक्षिण - इसी जखदर ए.एस.सी नं. 19/349 का अन्य भाग है अतः - जॉरि इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर- अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोर दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । बाद मिवाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। - अजयकु नगर निगम, अजमेर

क्रमांक :	योजना/2025-26/467	सर्वनिश्चित सूचना	दिनांक- 28-9-26
-----------	-------------------	-------------------	-----------------

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती ऐमरत जैन पति श्री दिनेश कुमार जैन व श्रीमती मुनू जैन पति श्री राजेश कुमार जैन निवासी टिकम गज केसरवाड, अजमेर के द्वारा नगर निगम की नयावद रोडज के अवधीय पृष्ठभूत संख्या ६-16-बी क्षेत्रफल 355.34 निगम की मानचित्र हेतु औनातन आवेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उस भूखंड कीमती संबंध पति एम.एल. शर्मा के नाम आवंटित है । श्रीमती संबंध पार्थी जरीर मुख्तारखम दिनांक 08.08.1991 द्वारा श्रीमती मया खानन्दनी को मुख्तारखम मुद्रक किया गया । श्रीमती मया खानन्दनी जरीर पतिकुल विरय व दिनांक 09.10.2017 द्वारा श्रीमती तस्मी जेठवा को भूखण्ड विरय किया गया है । श्रीमती तस्मी जेठवा जरीर पतिकुल विरय व दिनांक 14.11.2022 द्वारा श्रीमती ऐमरत जैन व श्रीमती मुनू जैन को भूखण्ड विरय किया गया है । इस प्रकार का निगबान दस्त 118 के तहत अधिकृत किया गया है । इस संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इसी प्रकारान के 07 दिवस के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को अजमेर नगर निगम कार्यालय की दोरतन शाख में दर्दयेपुनर देखे के लिए खुला रख गया है इस अवधि में किसी भी हितवादी व्यक्ति/ग्राम जना को कोई आपत्ति उठ हो वे बुनुरे ६ प्रकाशन के ०7 दिवस ने मया पुनर देखेपुनर देखे के साथ अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद मिवाद निम्नानुसार प्रकाश क मितातल कर देया जायेगा। - अजयकु नगर निगम, अजमेर

क्रमांक :	LU2012/2A/DA/2025-26/010665	लोक सूचना	दिनांक: 09/09/2026
-----------	-----------------------------	-----------	--------------------

श्री SHARFUDDIN पुत्र श्री SHAMSUDDIN जॉरी MUSLIM निवासी VILLAGE GEGAL AKHRI TEH. AJMER ने इस कार्यालय से नौके उचितविधि भूमि का लॉयलर प्रमाणित को उपचयो हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारों के नियमन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अवधि:-

क्र.	ग्राम तहसील व जिले का	खोतेदार का नाम	खसत वर्.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टेर)
1.	गेगल, अजमेर (अजमेर)	SHARFUDDIN	2473/1547	1900	0.19
2.	गेगल, अजमेर (अजमेर)	SHARFUDDIN	1553	107	0.0107
कुल					0.2007

इसलिए, इसकी द्वारा सम्पन्न संबंधीय व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्वभाषा भू-मालिकता अधिनियम, 1986 की धारा 90-अ और राजस्वभाषा अधिनियम अधिनियम, 1986 की धारा 63 के अंतर्गत सूचीकृत प्रत्येकाने के लिए भूमि को उपचयन हेतु अनुमति प्रदान करने और अभ

हमारी सरकार घोषणाएं ही नहीं करती, उसे समय से धरातल पर भी उतारती है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बयाना में भरतपुर संभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया

जयपुर, 28 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार केवल घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उन्हें समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने का कार्य करती है। इसी क्रम में भरतपुर संभाग को विकास की नई गति देते हुए करीब 453 करोड़ रुपये के 65 बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और 540 करोड़ रुपये के 184 नवीन विकास कार्यों का

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बयाना व ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम, थानाडांग, सुपा व महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशन के निर्माण की घोषणा की।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को भरतपुर के बयाना के बिड़्यारी में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। इस दौरान विधायक ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

शिलान्यास किया गया है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र में आधुनिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री सोमवार को भरतपुर जिले के बयाना के बिड़्यारी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण

एवं शिलान्यास समारोह का संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भरतपुर को 382 करोड़ रुपये से अधिक के 130 कार्यों, डींग को 358 करोड़ रुपये से अधिक के 24 कार्यों, करौली को 136 करोड़ रुपये से अधिक के 43 कार्यों, सवाई माधोपुर को 74 करोड़ रुपये से

अधिक के 46 कार्यों और धौलपुर को 42 करोड़ रुपये से अधिक के 6 विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास की सोगात मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में 273 करोड़ रुपये के 14 बड़े कार्यों का लोकार्पण हुआ है तथा चुली

व अनियाला में नए 33 केवी सब-स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बयाना और ब्रज नगर में आधुनिक स्टेडियम के निर्माण और थानाडांग, सुपा एवं महलपुर चूरा में 33 केवी सब-स्टेशनों के निर्माण की घोषणा की।

मेक इन इंडिया को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ये उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे। लंबी अवधि की परीक्षा यह है कि क्या कंपनियां सब्सिडी पर बहुत अधिक निर्भर हुए बिना अपनी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एक्सपोर्ट को बनाए रख सकती हैं।

निवेश के आंकड़ों को भी सावधानी से समझने की जरूरत है। 2014-15 से 2025-26 के बीच कुल 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (फरैन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट - एफ.डी.आई.) यह दिखाता है कि भारत दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षक है, लेकिन सारा एफ.डी.आई. मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में नहीं जाता। इसी तरह, पी.एल.आई. से जुड़े निवेश और उत्पादन के आंकड़े औद्योगिक विस्तार को तो दिखाते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि देश के अंदर वास्तव में कितना मूल्य जोड़ा गया है और इस विस्तार का लाभ कितने व्यापक क्षेत्रों तक पहुंचा है।

रोजगार भी एक महत्वपूर्ण पैमाना है। अगर मैनुफैक्चरिंग को आर्थिक विकास का व्यापक आधार बनना है, तो उसे कहीं अधिक लोगों को रोजगार देना होगा। सीमीकंडक्टर और एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग जैसे ज्यादा पूँजी वाले उद्योगों के साथ-

साथ, टेक्स्टाइल गारमेंट, जूते और फूड प्रोसेसिंग जैसे ज्यादा श्रम वाले क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। औद्योगिक स्पलाई चैन की रीढ़ माने जाने वाले छोटे और मध्यम उद्योगों को भी क्रेडिट, टेक्नॉलॉजी और एक्सपोर्ट मार्केट तक बेहतर पहुंच की जरूरत है।

इसलिए भारत की मैनुफैक्चरिंग की महत्वाकांक्षाओं के लिए फोकस में अब बदलाव की जरूरत है। अगले चरण में केवल ज्यादा सामान बनाने पर ही नहीं, बल्कि उन्हें डिजाइन करने, उनके पुर्जे विकसित करने, टेक्नॉलॉजी पर अपना नियंत्रण रखने और ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करने वाले घरेलू सप्लायर तैयार करने पर जोर होना चाहिए। मजबूत रिसर्च क्षमता, भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशल कर्मचारी और ग्लोबल वैल्यू चैन में गहरी भागीदारी बहुत जरूरी हैं।

मेक इन इंडिया ने एक अहम नींव रखी है। लेकिन इस पहल की असली कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या यह नींव ऐसी मैनुफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बनाती है, जो देश में ज्यादा वैल्यू देता करे, बड़े स्तर पर रोजगार दे और केवल सरकारी प्रोत्साहनों के भरोसे नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन के दम पर ग्लोबल स्तर पर मुकाबला करे।

चुनाव आयोग तीन माह में तृणमूल के चुनाव चिन्ह पर फैसला करे- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 28 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों के लिए चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने के लिए समय-सीमा तय कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली बैंच ने सोमवार को कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों सुनने के लिए चार हफ्ते और उसके बाद फैसला करने के लिए तीन महीने का समय मुकर्रर किया है।

हालांकि, आयोग के वकील ने इस पर फैसले के लिए छह महीने का समय दिए जाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इससे पहले 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि निर्वाचन आयोग इस मामले पर फैसला करने में देरों कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया था कि इस मामले पर निर्वाचन आयोग को रोजाना सुनवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दो विरोधी गुटों के बीच विवाद के चलते पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रोज्ञ कर दिया गया था।

उत्तराखंड में आठ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे

अभियान में 38 लोग बचाये गये, अभी 136 ट्रैकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हैं

देहरादून, 28 सितंबर। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में खराब मौसम के बीच फंसे ट्रेकर्स, पर्वतारोहियों और पोर्टर्स की सुरक्षित निकासी के लिए सोमवार को युस्ट्रस्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आठ हेलीकॉप्टरों की मदद से ऑडेन कोल क्षेत्र के सभी 29 और कालिंदी पास क्षेत्र के नौ ट्रेकर्स समेत, अब तक 38 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। शेष लोगों की निकासी के लिए अभियान जारी है।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 10 ट्रेकिंग दलों के 136 ट्रेकर्स विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए थे। उनकी निकासी के लिए सोमवार सुबह छह बजे से आठ हेलीकॉप्टरों के जरिए अभियान शुरू किया गया। मौसम और हेलीकॉप्टर संभावना की परिस्थितियों के अनुसार रेस्क्यू रणनीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऑडेन कोल

आईआईटी आत्महत्या के मामले में पिता ने आज़ाद मैदान पर धरना दिया

मुंबई, 28 सितंबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके पिता रवीन्द्र वाकोडे ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिवार ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और साहिल को न्याय दिलाने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि साहिल को संस्थान में कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था।

रवीन्द्र वाकोडे ने कहा कि वे अपने बेटे को न्याय मिलने और जिम्मेदार लोगों को खिलाफ कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। रवीन्द्र वाकोडे के वकील निखिल कांलेले ने बताया कि वाकोडे परिवार आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहा है और एफआईआर में नामजद लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

एआई की दुविधा अब केवल काल्पनिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उपयोग करना चाहती हैं, जबकि टेक्नॉलॉजी कंपनियां अधिक उन्नत सिस्टम बनाने की होड़ में लगी हैं। वही तकनीक, जो अभूतपूर्व उत्पादकता का वादा करती है, आर्थिक और तकनीकी शक्ति को कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में केन्द्रित भी कर सकती है।

क्या इन सिस्टमों को बनाने वाली कंपनियों पर खुद को नियंत्रित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है? जिम्मेदार इनोवेशन के बारे में कॉर्पोरेट आश्वासन स्वतंत्र निगरानी का विकल्प नहीं हो सकता। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा

जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे

वे अगले साल फरवरी में पद संभालेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत रिटायर हो जाएंगे

नई दिल्ली, 28 सितंबर। जस्टिस विक्रम नाथ भारत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी करने के चार दशक बाद, जस्टिस नाथ अगले साल फरवरी में देश के अगले सीजेआई की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत अगले साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक है।

जस्टिस विक्रम नाथ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 24 सितंबर, 1962 में हुआ था। जस्टिस नाथ ने 1983 में साईंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन

■ **सितम्बर 1962 में जन्मे जस्टिस विक्रम नाम 2004 में इलाहाबाद में एडीशनल जज तथा 2006 में परमानेंट जज बने थे। अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले वे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे।**

किया था। उन्होंने 1986 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी और इसके बाद 1987 में यूपी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया।

2004 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनने से पहले, जस्टिस विक्रम नाथ ने वहां 17 साल से ज्यादा समय तक प्रैक्टिस की। 2006 में वे परमानेंट जज बने। अगस्त 2021 में

सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने से पहले, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया। 15 अप्रैल 2022 को एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने शिया कॉलेज में अपने स्टूडेंट लाइफ के अनुभव शेयर किए थे। उस समय उन्होंने कहा कि कॉलेज ने मेरी सफलता में अभूतपूर्व योगदान दिया। अगर शिया कॉलेज न होता, तो मैं कुछ भी नहीं होता।

करना पड़ सकता है, जबकि ऑटोमेशन रोजगार को प्रभावित कर सकता है।

भारत को ऐसे नियामक ढाँचे की जरूरत है, जो नागरिकों की सुरक्षा करे, लेकिन इनोवेशन के रास्ते में अनावश्यक रुकावटें न डाले। पारदर्शिता, स्वतंत्र सुरक्षा आकलन, जिम्मेदारी तय करने के स्पष्ट नियम और गंभीर घटनाओं की अनिवार्य रियपोर्टिंग इसके स्पष्ट आधार होने चाहिए। इसका अंतरराष्ट्रीय पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक देश में विकसित किए गए एआई सिस्टम दुनिया भर के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा, सिक्योरिटी और जवाबदेही के लिए आम सिद्धांत तय करने के लिए सरकारों

के बीच सहयोग जरूरी है। अंततः सवाल यह नहीं है कि

एआई को नियंत्रित किया जाना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि रेगुलेशन को तकनीकी बदलाव की गति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे रखा जाए। न तो कंपनियों को बिना रोकटोक के पूरी शक्ति देना और न ही जरूरत से ज्यादा सरकारी नियंत्रण कोई स्थायी समाधान है। एआई गवर्नंस की असली परीक्षा यह होगी कि क्या समाज इनोवेशन के लाभों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य की आकार देने की शक्ति उन लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जिन्हें उसके परिणामों के साथ जीना होगा।

चुनाव आयोग के मुद्दे पर खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की आज बैठक बुलाई

नई दिल्ली, 28 सितंबर। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर जारी विवाद के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक बुलाई है। बैठक में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ पार्टी की आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गंभीरता से संघर्ष करेगी और बैठक में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य अपने सुझाव देंगे। यह मामला केवल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आगे की रणनीति तैयारी का कामकाज को लेकर उसके अपने लोगों की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं।

‘जीएसटी अधिकारी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
बताया कि सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) 2017, में केवल “गुड्स” (चल संपत्तियां या वस्तुओं) को परिभाषित किया गया है और इस कानून में विशेष रूप से “मनी” (नकदी) के विषय में कोई भी नियम या कायदा नहीं बनाया गया है। सिद्धार्थ रांका का कहना यह अधिनियम केवल चल संपत्ति व वस्तुओं और सेवाओं की खरीद- फरोख्त पर टैक्स से संबंधित है। इस नियम में “मनी”, यानी नकदी को कहीं परिभाषित भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी तरीके से इस नकदी को जब्त करने की वजह से याचिकाकर्ताओं को न केवल ब्याज, बल्कि मुआवजा भी मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961, की धारा 132 में ‘तलाशी और अधिग्रहण (जब्ती)’ के संबंध में नियम लिखे गये हैं। उन्होंने बताया कि इस धारा में भी स्पष्ट लिखा है कि नकदी, सोना व आभूषण को ‘वस्तु’ की तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये एक ही श्रेणी में नहीं आते हैं। अदालत ने कई हाईकोर्ट के निर्णयों को देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि सीजीएसटी कानून की व्याख्या किसी भी दृष्टिकोण से की जाए, चाहे शब्दशः

तरीके से, या सुनहरे नियम को लगाते हुए; जिससे नियम को लागू करने में विसंगतियों व असंगतियों को दूर रखा जा सके, या शरारत का नियम लागू करके कानून को पढ़ा जाये, ताकि कानून की भाषा असंग्रह न रहे, तब भी अदालत जीएसटी अधिकारियों को किसी भी सूत्र में यह अधिकार नहीं दे सकती कि उन्हें छापे के दौरान नकदी जब्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में पक्षकार जयपुर जेल के जीएसटी विभाग के एडिशनल डायरैक्टर, वरिष्ठ इटेलिजेंस ऑफिसर, उपायुक्त, राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की जब्त की गई नकदी वापस लौटाने के आदेश दिये।

यहां उल्लेखनीय है कि कई मामलों में नकदी जब्त करने की कार्रवाई 2023 और 2024 में की गई थी और राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष कई अन्य धरोहर पेश किये गये थे, जिसमें समानांतर मामलों में अदालत में जीएसटी अधिकारियों को न केवल जब्त की गई नकदी लौटाने के आदेश दिये थे, बल्कि मुआवजा व ब्याज भी देने को कहा था। परंतु हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस गुहार पर कोई आदेश नहीं दिया।

कांग्रेस ने सपा के समक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
श्रेणियों में बांटा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य बातचीत शुरू होने से पहले संभावित उम्मीदवारों और संगठन की ताकत की पहचान करना है, ताकि गठबंधन होने की स्थिति में पार्टी के पास उम्मीदवारों की कमी न हो।

पार्टी ने 150 सीटों को अपनी पहली श्रेणी में रखा है और उम्मीद है कि बातचीत के दौरान वह इन सीटों की मांग करेगी। कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि वे नहीं चाहते कि सीटों की अंतिम संख्या 100 से कम हो।

कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी काम कर रही है। पार्टी खास तौर पर दलित और ब्राह्मण मतदाताओं पर ध्यान दे रही है और अति पिछड़े समुदायों के बीच भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पार्टी का फोकस ब्राह्मण और दलित मतदाताओं पर है, वहीं, वह मुस्लिम नेताओं को भी अपने साथ जोड़ रही है। इस प्रयास में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को प्रमुख भूमिका दी गई है।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हैं।

अखिलेश यादव ने हाल ही में रायबरेली से पार्टी की पीडीए (पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक) रथ यात्रा शुरू की। रायबरेली लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं। यह कदम ऐसे समय में आया है, जब दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। अखिलेश यादव सार्वजनिक

रूप से यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कायम है।

2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी। पांच साल बाद, 2024 के चुनाव में तस्वीर काफी बदल गई। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों ने मिलकर 43 सीटें जीतीं, जिससे राज्य में इंडिया गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से आगे रहा। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने एनडीटीवी से कहा कि इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगा।

जब अखिलेश यादव ने रायबरेली से अपनी रथ यात्रा शुरू की, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया दी कि उनकी पार्टी मैनपुरी और इटावा से अपना अभियान शुरू कर सकती है। ज्ञातव्य है कि ये दोनों क्षेत्र समाजवादी पार्टी से मजबूती से जुड़े हुए हैं।

इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जहां से चाहे, अपना अभियान शुरू कर सकती है, लेकिन उसे इटावा और मैनपुरी में वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना अभियान जारी रखेगी और उन्होंने उन बयानों को खारिज किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आसानी से किनारे किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी के बिना कोई कुछ नहीं”। उन्होंने आगे कहा, “किसी गलतफहमी में मत रहिए,

आपने देखा, बंगाल में क्या हुआ।” समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जवाब में जोर देकर कहा है कि अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि पार्टी ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों से लेकर चुनाव में कथित अनियमितताओं तक के मुद्दे “सड़क से लेकर विधानसभा तक” उठाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि गठबंधन कम बनेगा और सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका फैसला अखिलेश यादव करेंगे, जबकि कांग्रेस की ओर से यह फैसला राहुल गांधी करेंगे।

उज्जैन में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
इस बीच, उज्जैन शहर के काजी खलीलुर रहमान ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और बाजारों में अनावश्यक रूप से न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मस्जिद से जुड़ा मामला सुलझ लिया गया है। उज्जैन के जिलाधिकारी रौशन कुमार ने भी लोगों से गलत जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित समुदाय के लोग खुद ही धार्मिक स्थल को दूसरी जगह ले जा रहे हैं।

उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार किया। देश के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने की उनकी भावना भारत के युवाओं के साहस और संकल्प का प्रतीक है।

भाजपा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने, स्थानीय प्रभावशाली लोगों और राज्य व जिला स्तर पर तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में विपक्ष को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जमीनी स्तर की तैयारियों में बूथ समितियों को मजबूत करना, सदस्यता अभियान को विस्तार देना, कार्यकर्ताओं का नियमित प्रशिक्षण और राज्य इकाइयों तथा केन्द्रीय प्रभारियों के बीच बेहतर तालमेल शामिल होगा। नया प्रभारी ढांचा, लगातार निगरानी, फीडबैक और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, ताकि केवल तात्कालिक चुनावी अभियानों से आगे बढ़कर, संगठन की मजबूत और स्थाई मौजूदगी बनाई जा सके। कुल मिलाकर, यह बैठक संकेत देती है कि भाजपा अपने नए नेतृत्व के तहत, 2027 के चुनावों को संगठन के आपसी तालमेल और मजबूती की एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में देख रही है।

‘कोमा में चल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
हो गए थे। उन्हें जयपुर रेफर किया गया और यहाँ उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। इसके चलते वह 90 फीसदी स्थाई निशक्त हो गए और तब से ही कोमा में ही चल रहे हैं। उनका इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इसके बावजूद जुलाई, 2025 से उसके पति को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। जिस कारण पूरा परिवार ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जन्मे बाघ शावक का वजन 1 3 किलो हुआ

गत 18 अप्रैल को जन्मे शावक को नियोनेटल केयर यूनिट में 24 घंटे निगरानी में रखा गया था



रही है। नियोनेटल केयर यूनिट में रखे जाने के बाद से शावक के वजन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। उसके विभिन्न चिकित्सा परीक्षण भी कराए गए, जिनकी रिपोर्ट सामान्य आई है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के उपनिदेशक डॉ. अरविंद माथुर ने बताया कि शावक को

आवश्यक विटामिन, मिनरल्स और अन्य सप्लीमेंट दिए जा रहे हैं। विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए उसका टीकाकरण और डिवायर्मिंग भी पूरा कराया जा चुका है।

शावक की दैनिक गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल शावक

को चिकन और चिकन सूप दिया जा रहा है। नियोनेटल केयर यूनिट में उसके लिए प्राकृतिक वातावरण तैयार किया गया है, ताकि उसे सुरक्षित और अनुकूल माहौल मिल सके। वन्यजीव चिकित्सक और विशेषज्ञ उसके स्वास्थ्य एवं विकास को नियमित निगरानी कर रहे हैं।